मुख़्तसर हज मबरूर
(Hajj & Umrah Guide)

लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक

मौलाना डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ
سورة الحج (٢٧)

मुख़्तसर हज्जे मबरूर

(Hajj & Umrah Guide)

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ

लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक

डाक्टर मोहम्मद नजीब संभली क़ासमी

www.najeebqasmi.com

मुख़्तसर हज्जे मबरूर

किताब का नामः **मुख़्तसर हज्जे मबरूर**

लेखकः **मोहम्मद नजीब संभली क़ासमी**

पहला संस्करण

(प्रकाशित प्रतियों की संख्या 5000) जून 2013 ई॰

पहला हिंदी संस्करण

अगस्त 2015 ई॰

हज करने वालों के लिये मुफ़्त मिलने का पताः

डा॰ मोहम्मद मुजीब

दीपा सराय, सभंल, यूपी, इण्डिया

पिन कोड-244302

विषय-सूची

तमहीदी कलेमात

आजमीने हज को मुफ्त तकसीम करने के लिए किताब "हज्जे मबरूर" के तीन ऐडिशन (2005, 2007 और 2011) में शाऐ हो चुके हैं जिसकी तकरीज हजरत मौलाना मो॰ जकरिया संभली शैखुल हदीस नदवतुल उलमा लखनऊ ने तहरीर फरमाई है।

हुज्जाज-ए-किराम की सहूलत के पेशे नज़र 2013 में "मुख्तसर हज्जे मबरूर" के नाम से पाकेट साइज किताब भी शाऐ की, जिसकी तक़रीज़ हजरत मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी दामत बरकातुहुम ने तहरीर फरमाई।

अहबाब के मुतालबे पर पाकेट साइज किताब "मुख्तसर हज्जे मबरूर" का अंग्रेज़ी और हिन्दी तरजुमा पेशे खिदमत है ताकि आज़मीने हज का एक बड़ा तबक़ा इस्तिफादा कर सके। अल्लाह तआला कबूलियत व मक़बूलियत से नवाज़े।

हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नोमानी दामत बरकातुहुम मोहतमिम दारूल उलूम देवबन्द का शुक्रगुज़ार हूं कि उन्होंने किताब के अंग्रेज़ी और हिन्दी तरजुमे के लिए मुफीद क़ीमती सतरें तहरीर फरमाईं।

मो॰ नजीब क़ासमी संभली, रियाज़

9 ज़िलक़ादा 1436 हिजरी

24 अगस्त 2015 ईसवी

मुखबंध

यह मालूम करके खुशी हुई कि मौलाना मोहम्मद नजीब क़ासमी साहब अपनी पॉकेट साइज़ किताब (मुख्तसर हज मबरूर) का अंग्रेजी व हिंदी तर्जुमा इलेक्ट्रॉनिक किताब की शकल में लांच करने जा रहे हैं। इंशा अल्लाह इस से हिन्दी और अंग्रेज़ी जानने वालों को बहुत फायदा होगा। उम्मीद है कि आइंदा ये दोनों तर्जुमे पॉकेट साइज़ किताब की शकल में भी शाये होंगे। अल्लाह ताआला क़बूल फरमाये।

वस्सलाम

अबुल क़सिम नोमानी
मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद

یہ معلوم کرکے مسرت ہوئی کہ مولانا محمد نجیب قاسمی صاحب اپنی پاکٹ سائز کتاب (مختصر حج مبرور) کا انگریزی وہندی ترجمہ الیکٹرانک کتاب کی شکل میں لانچ کرنے جارہے ہیں۔ان شاءاللہ اس سے ہندی وانگریزی جاننے والوں کو بہت نفع ہوگا۔امید ہے کہ آئندہ یہ دونوں ترجمے پاکٹ سائز کتاب کی شکل میں بھی شائع ہوں گے۔اللہ تعالی قبول فرمائے۔والسلام

ابوالقاسم نعمانی غفرلہ، مہتمم دارالعلوم دیوبند
01436/11/07ھ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल करीम, व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन

प्रस्तावना

अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है: लोगों में हज का एलान कर दो कि लोग हज की अदाएगी के लिए पैदल और दूर-दराज़ इलाक़ों से सवारियों पर सवार होकर आयें (सूरह हज: 27)। आज पूरी दुनिया क़ुराने करीम के इस एलान को अपनी आंखों से देख रही है कि दुनिया के कोने कोने से अल्लाह तआला के लाखों बन्दे अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए हर साल इस मुक़द्दस ज़मीन पर हज की अदाएगी के लिये आते हैं।

इन्हीं हाजियों के मार्गदर्शन के लिये दुनिया की कई ज़बानों में बहुत सी किताबें लिखी गयी हैं, मगर ज़माने की तेज़ी से तब्दीली और हाजियों की संख्या में असाधारण ज़्यादती को देखते हुए ज़रूरत है कि ऐसी किताबें लिखी जायें जिन में हज व उमरह के तरीक़ों के बयान के साथ हज व उमरह से संबंधित आज के दौर के मसाइल का हल आम ज़बान में पेश किया जाये, ताकि हाजी साहेबान इससे

फ़ायदा उठाते हुए हज के फरीज़े को सही तौर पर अदा कर सकें।

इसी सोच के साथ मैंने 2005 ई॰ में "हज्जे मबरूर" के नाम से एक किताब प्रकाशित की थी जिसका अलहम्दु लिल्लाह दूसरा और तीसरा एडीशन 2007 ई॰ व 2011 ई॰ में छपा जो हज और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के मसाइल के साथ-साथ बैतुल्लाह, सफ़ा मरवह, मस्जिदे हराम, मस्जिदे नबवी, मीक़ात और दूसरी मुक़द्दस जगहों की तस्वीरों व नक्शों से सजा हुआ है।

मगर हाजियों की खिदमत के तजुरबे से मालूम हुआ कि पाकेट साइज़ की किताब हाजियों के लिए ज़्यादा मुफ़ीद होगी। अतः अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक और एक अहले ख़ैर के सहयोग से "मुख़्तसर हज्जे मबरूर" प्रकाशित कर रहा हूँ जिसमें पिछली किताब "हज्जे मबरूर" में लिखे गये हज के मसाइल को किसी हद तक संक्षिप्त रूप से आम ज़बान में संकलित किया है, इसी के साथ अतिरिक्त जानकारी के लिये दिये गये अध्यायों जैसे काबा का इतिहास व मस्जिदे नबवी का इतिहास वगैरह को हटा दिया है, हाँ "हज्जे मबरूर" की विशेष उपयोगिता की वजह से उसके संस्करण को भी जारी रखने का इरादा है।

अल्लाह तआला इस खिदमत को क़ुबूल फरमाकर मुझे और तमाम सहयोगियों को बेहतरीन बदला अता फरमाये।
आमीन, सुम्मा आमीन।

मोहम्मद नजीब क़ासमी संभली

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

सराहना

इस्लाम के पांच मूल आधारों में से बैतुल्लाह का हज करना है, यह इबादत अल्लाह तआला से ख़ौफ व डर को भी दर्शाती है और अल्लाह तआला से मुहब्बत को भी, हज के तमाम कृत्य यूं तो सिर्फ पांच दिनों मेंपूरे हो जाते हैं, लेकिन इसके मसाइल की संख्या इस्लामी इबादात में संभवतः नमाज़ के बाद सबसे ज़्यादा है। फ़र्ज़ हज ज़िन्दगी में एक बार अदा किया जाता है और हज अदा करने वाले आमतौर पर मुसाफिर व अजनबी होते हैं, ख़ासकर अरब मुल्कों के बाहर से जो लोग आते हैं उनको ज़बान के अजनबी होने की समस्या का सामना करना पड़ता है और भीड़ की वजह से क़दम क़दम पर दुश्वारियां भी पेश आती हैं। जब तक पानी के जहाज़ से हाजी जाया करते थे हज का प्रशिक्षण अच्छा खासा हो जाता था, क्योंकि उनका एक हफ़्ते का सफ़र सीखने व सिखाने में गुज़रता था, अब हालत यह है कि हज के सफ़र के दुन्यावी तोशे की तो लोग ख़ूब ख़ूब तैयारी करते हैं, लेकिन रूहानी व आत्मिक तैयारी बहुत कम करते हैं, इस संदर्भ में हज पर बहुत सी किताबें उर्दू ज़बान में लिखी गयी हैं।

फिर भी ऐसी किताबों की ज़रूरत है जिनमें तमाम ही मसाइल को बयान न किया गया हो बल्कि ख़ास मसाइल का चयन हो, जो मसाइल बहुत ज़्यादा पेश आते हैं सिर्फ़ उनको ज़िक्र किया

जाये, हज के पांच दिनों में से हर दिन से संबंधित शरअी मसाइल वज़ाहत के साथ ज़िक्र कर दिये जायें, मसाइल विश्वसनीय स्रोतों से लिये गये हों और आसान व आम ज़बान में लिखे गये हों। मेरे लिये यह बहुत ही खुशी की बात है कि मुहिब्बी फिल्लाह जनाब मौलाना मुहम्मद नजीब क़ासमी संभली का संकलन "मुख़्तसर हज्जे मबरूर" इस ज़रूरत को पूरा करता है, यह उनकी विस्तृत किताब "हज्जे मबरूर" का ख़ुलासा है जिसको उन्होंने हाजियों की आसानी के लिए संकलित किया है संकलक की किताब तोहफए रमज़ानुल मुबारक भी इससे पहले छप चुकी है, फिर हज्जे मबरूर के कई संस्करण आ चुके हैं जिनको विषय से रुचि रखने वालों ने शौक़ से लिया है, दुआ है कि उनका यह ताज़ा संकलन लोकप्रिय हो, हाजी साहेबान इससे फ़ायदा उठायें और अपने बाबरकत सफ़र में इसको मशाल बनाकर शरीयत व सुन्नत के मुताबिक़ इस अतिमहत्वपूर्ण इबादत को अन्जाम दें।

ख़ालिद सैफुल्लाह रहमानी

(ख़ादिम अल मअहदुलइस्लामी हैदराबाद)

5 रजब 1434 हिजरी

16 मई 2013 ईसवी

हज की हक़ीक़त

हज़रत मौलाना मन्ज़ूर नोमानी रहमतुल्लाह अलैह

हज क्या है? एक निर्धारित व निश्चित समय पर अल्लाह के दीवानों की तरह उसके दरबार में हाज़िर होना और उसके ज़रिये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अदाओं और तौर तरीक़ों की नक़ल करके उनकी परंपरा और पथ से अपने लगाव और वफ़ादारी का सबूत देना और अपनी क्षमता के अनुसार इब्राहीमी जज़्बात और भावनाओं से हिस्सा लेना और अपने को उनके रंग में रंगना। अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए कहा जा सकता है कि अल्लाह की एक शान है कि वह प्रतापवान और सर्वशक्तिमान, प्रभावशाली, हाकिमों का हाकिम और शहंशाहे कुल है और हम उसके आजिज़ व मोहताज बंदे गुलाम और उसके अधीन हैं और दूसरी शान उसकी यह है कि कि वह तमाम सिफ़ाते जमाल पूर्ण रुप से उसके साथ ख़ास ैंह जिनकी वज़ह से इन्सान को किसी से मुहब्बत होती है और इस लिहाज़ से वह बल्कि सिर्फ़ वहीहक़ीक़ी महबूब है। उसकी पहली हाकिमाना और शाहाना शान का तकाज़ा यह है कि बंदे उसके हुज़ूर में अदब व आज्ञाकारिता की तस्वीर बन

कर हाज़िर हों। इस्लाम के आधारों में पहला व्यावहारिक आधार नमाज़ इसका विशेष चित्रण है और इसमें यहीं रंग प्रधान रुप से पाया जाता है और ज़कात भी इसी संबंध के एक दूसरे रुख को ज़ाहिर करती है और उसकी दूसरी शाने महबूबियत का तक़ाज़ा यह है बन्दों का खाना पीना छोड़ देना और मन की इच्छाओं से मुंह मोड़ लेना इश्क व मुहब्बत की मंज़िलों में से है, मगर हज इसका पूरा पूरा चित्रण है। सिले हुए कपड़ों के बजाये एक कफ़न नुमा लिबास पहन लेना, नंगे सर रहना, हजामत न बनवाना, नाख़ुन न कटवाना, बालों मे कंघी न करना, तेल न लगाना, ख़ुश्बू का इस्तेमाल न करना, मैल कुचैल से जिस्म की सफाई न करना, चीख़-चीख़ कर लब्बैक लब्बैक पुकारना, बैतुल्लाह के गिर्द चक्कर लगाना, इसके एक गोशे में लगे हुए हज्रे असवद को चूमना, उसके दरो दीवार से लिपटना और रोना व गिड़गिड़ाना, फिर सफा व मरवह के फेरे करना, फिर मक्का शहर से भी निकल जाना और मिना और कभी अराफात और कभी मुज़्दलफ़ा के सहराओं में जा पड़ना, फिर जमरात पर बार बार कंकरियाँ मारना यह सारे काम वही हैं जो मुहब्बत के दीवाने करते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मानो आशिक़ी की इस रस्म के

संस्थापक हैं। अल्लाह को उनकी यह अदाएं इतनी पसंद आयीं कि अपने दरबार की ख़ासुल ख़ास हाज़िरी हज व उमरह के आवश्यक तत्व व उसके कृत्य इनको क़रार दे दिया। इन्हीं सब के समूह का नाम मानो हज है।

हज की फर्ज़ियत

हज नमाज़, रोज़ा और ज़कात की तरह इस्लाम के मूल आधारों में से है। तमाम उम्र में एक बार हर उस शख़्स पर हज फर्ज़ है जिसको अल्लाह ने इतना माल दिया हो कि अपने घर से मक्का मुकर्रमा तक आने जाने की ताक़त रखता हो और अपने अहलो अयाल के ख़र्चों को वापसी तक बर्दाश्त कर सकता हो।

हज की फर्ज़ियत कुरान करीम सेः

लोगों पर अल्लाह तआला का हक़ है कि जो उसके घर तक पहुंचने की क्षमता रखते हों वह उसके घर का हज करें और जो शख़्स उसके हुक्म की पैरवी से इन्कार करे उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह तआला तमाम दुनिया वालों से बेनियाज़ है। (सूरह आले इमरानः ९७)

हज की फर्ज़ियत अहादीस नबवी सेः

— हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि॰) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमायाः इस्लाम की बुनियाद पांच सुतूनों (आधारों) पर क़ायम की गयी है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह

के सिवा कोई मअबूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, नमाज़ क़ायम करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना और हज अदा करना। (बुख़ारी व मुस्लिम)

— हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि०) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम को ख़ुत्बा दिया और फरमायाः लोगो! तुम पर हज फर्ज़ किया गया है लिहाज़ा हज करो। एक आदमी ने पूछाः या रसूलल्लाह! क्या हज हर साल करें? रसूलुल्लाह खामोश रहे यहां तक कि सहाबी ने तीन बार यही सवाल किया। तब आपने फरमायाः अगर मैं हाँ कह देता तो तुम पर हर साल हज करना फर्ज़ हो जाता और तुम कर नहीं सकते थे। फिर फरमाया जो चीज़ मैं तुम को बताना छोड़ दूँ उस बारे में तुम भी मुझ से सवाल ना किया करो। (मुस्लिम)

— हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि०) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः फरीज़ए हज अदा करने में जल्दी करो, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि उसे क्या मजबूरी पेश आ जाये। (मुस्नद अहमद)

हज व उमरा की अहमियत व फज़ीलत

— हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा अमल सबसे अफ़ज़ल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाना। फिर अर्ज़ किया गया कि इसके बाद कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः अल्लाह की राह में जिहाद करना। फिर अर्ज़ किया गया कि इसके बाद कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः हज मक़बूल। (बुख़ारी व मुस्लिम)

— हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जिस शख़्स ने सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए हज किया और इस दौरान कोई बेहुदा बात या गुनाह नहीं किया तो वह (पाक होकर) ऐसा लौटता है जैसा माँ के पेट से पैदा होने के दिन (पाक) था। (बुख़ारी व मुस्लिम)

— हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः एक उमरह दूसरे उमरह तक उन गुनाहों का कफ़्फ़ारा है जो दोनों उमरों के

दरमियान हुए हों और हज मबरूर का बदला तो जन्नत ही है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

— हज़रत उमर (रज़ि॰) रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः एक के बाद एक हज और उमरे किया करो, बेशक यह दोनो (हज और उमरा) फ़क्र यानी ग़रीबी और गुनाहों को इस तरह दूर कर देते हैं जिस तरह भट्टी लोहे के मैल कुचैल को दूर कर देती है। (इब्ने माजा)

— हज़रत आइशा (रज़ि॰) फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! हमें मालूम है कि जिहाद सबसे अफ़ज़ल अमल है, क्या हम जिहाद न करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमायाः नहीं (औरतों के लिये) उमदा तरीन जिहाद हज्जे मबरूर है। (बुख़ारी)

— हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः हज और उमरा करने वाले अल्लाह तआला के मेहमान हैं, अगर वह अल्लाह तआला से दुआ करें तो वह क़बूल फरमाये, अगर वह इससे मग़फिरत तलब करें तो वह उनकी मग़फिरत फरमाये। (इब्ने माजा)

– हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि॰) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमायाः जब किसी हज करने वाले से तुम्हारी मुलाक़ात हो तो उसके अपने घर में पहुंचने से पहले उसको सलाम करो, मुसाफहा करो और उससे अपनी मग़फिरत की दुआ के लिए कहो, क्योंकि वह इस हाल में है कि उसके गुनाहों की मग़फिरत हो चुकी है। (मुसनद अहमद)

– हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि॰) फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुनाः जो हाजी सवार होकर हज करता है उसकी सवारी के हर क़दम पर सत्तर नेकियां लिखी जाती हैं और जो हज पैदल करता है उसके हर क़दम पर सात सौ नेकियां हरम की नेकियों में से लिखी जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरयाफ़्त किया गया कि हरम की नेकियां कितनी होती हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः एक नेकी एक लाख नेकियों के बराबर होती है। (बज़्ज़ार, कबीर, औसत)

– हज़रत जाबिर (रज़ि॰) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमायाः हज मबरूर का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं। आप

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हज की नेकी क्या है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः हज की नेकी लोगों को खाना खिलाना और नरम गुफ़्तगू करना है। (इस हदीस को तबरानी ने "औसत" में और इब्ने खुज़ैमा ने अपनी सहीह में रिवायत किया)

— हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि॰) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमायाः अल्लाह तआला की एक सौ बीस (१२०) रहमतें रोज़ाना इस घर (ख़ाना काबा) पर नाज़िल होती हैं जिनमें साठ तवाफ करने वालों पर, चालीस वहां नमाज़ पढ़ने वालों पर और बीस ख़ाना काबा को देखने वालों पर नाज़िल होती हैं। (तबरानी)

हज की शर्तेः यानी हज कब फर्ज़ होता है

मर्दो के लियेः

(1) मुसलमान होना।

(2) आक़िल होना यानी पागल न होना।

(3) बालिग़ होना।

(4) आज़ाद होना।

(5) इस्तताअत यानी क़ुदरत का होना।

(6) हज का वक़्त होना।

(7) हुकूमत की तरफ से रुकावट का ना होना।

(8) सेहतमंद होना।

(9) रास्ता पुर अम्न होना।

औरतों के लिये

ऊपर लिखी गई 9 शर्तों के अलावा दो शर्तें औरः

(10) महरम या शौहर का साथ होना।

(11) इद्दत की हालत में न होना।

वज़ाहतः कुछ उलमा ने आखिरी पांच शर्तों 7 से 9 और 10 व 11 (हुकूमत की तरफ से रुकावट का न होना, सेहतमंद होना, रास्ता पुर अम्न होना, औरत के साथ महरम या

शौहर का होना और औरत का इद्दत की हालत में न होना) को वुजूब अदा में क़रार दिया, है यानी इन पांच शर्तों के बग़ैर भी हज फर्ज़ हो जाता है, लेकिन चूंकि अदा करने से असमर्थ है, लिहाज़ा ऐसे शख़्स के लिए ज़रूरी है कि किसी दूसरे से हज कराये या वसीयत करे या शर्त के पाये जाने पर ख़ुद हज करे।

मसअलाः जिस साल हज फर्ज़ हो जाये उसी साल हज करना वाजिब है, अगर बग़ैर किसी मजबूरी के देर की तो गुनाह होगा, लेकिन अगर मरने से पहले हज कर लिया तो हज अदा हो जायेगा और देर करने का गुनाह भी जाता रहेगा। अगर हज किये बगैर मर गया तो गुनाह (हज न करने का) इसके ज़िम्मे रहेगा।

कुछ लोगों ने मशहूर कर रखा है कि अगर किसी ने उमरह कर लिया तो उस पर हज फर्ज़ हो गया,यह ग़लत है। अगर वह साहबे इस्तताअत नहीं है, यानी अगर उसके पास इतना माल नहीं है कि वह हज अदा कर सके तो उस पर उमरह की अदाएगी की वजह से हज फर्ज़ नहीं होता अगरचे वह उमरह हज के महीनों में ही अदा किया जाये फिर भी उसकी वजह से हज फर्ज़ नहीं होगा।

हज के फ़राइज़

(1) एहराम यानी हज की नियत करना और तलबिया यानी (लब्बैक अल्लाहहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, इन्नलहम्दा वन्नेअमता लका वलमुल्क ला शरीका लक) पढ़ना।

(2) वुक़ूफे अरफ़ा यानी ९ ज़िलहिज्जा को सूरज के ज़वाल से सूरज के डूबने तक अरफात में थोड़ी देर के लिए ठहरना। अगर कोई शख़्स सूरज के डूबने तक अरफात नहीं पहुंच सका लेकिन १० ज़िलहिज्जा की सुबह होने से पहले तक अरफात में किसी वक़्त पहुंच गया तो फर्ज़ अदा हो जायेगा।

(3) तवाफ़े ज़ियारत करना जो १० ज़िलहिज्जा की सुबह से १२ ज़िलहिज्जा के सूरज डूबने तक दिन रात में किसी भी वक़्त किया जा सकता है। तवाफ़े ज़ियारत को तवाफ़े इफ़ाज़ा भी कहते हैं।

वज़ाहतः कुछ उलमा ने हज की सई को हज के फराएज़ में शुमार किया है, जबकि ज़्यादातर उलमा ने इसको वाजिब क़रार दिया है।

हज के वाजिबात

(1) मीक़ात से एहराम के बग़ैर ना गुज़रना।

(2) अरफा के दिन सूरज के डूबने के बाद मैदाने अरफात से निकलना।

(3) अराफात से वापसी पर मुज़्दलफ़ा में रात गुज़ार कर सुबह सादिक़ के बाद से सूरज निकलने से पहले पहले कुछ वक़्त के लिए मुज़्दलफ़ा में ठहरना।

(4) जमरात को कंकरियाँ मारना।

(5) क़ुर्बानी करना। (हज्जे इफ़राद में वाजिब नहीं)

(6) सर के बाल मुंडवाना या कटवाना।

(7) सफा मरवह की सई करना।

(8) तवाफ़ विदा करना।

वज़ाहतः हज के फ़राएज़ में से अगर कोई एक फ़र्ज़ छूट जाये तो हज सही नहीं होगा जिसकी तलाफी दम से (यानी जानवर की क़ुर्बानी करने से) भी मुमकिन नहीं और अगर वाजिबात में से कोई एक वाजिब छूट जाये तो सही हो जायेगा, मगर दम लाज़िम होगा।

हज की क़िस्में

हजकी तीन क़िस्मे हैं

(1) तमत्तो (2) क़िरान(3) इफ़राद

आप इनमें से जिसको चाहें इख़्तियार कर सकते हैं, हाँ हज्जे तमत्तो और हज्जे क़िरान हज्जे इफ़राद से अफ़जल हैं।

चूंकि हाजियों को हज्जे तमत्तो में ज़्यादा आसानी होती है और हिन्दुस्तान व पाकिस्तान से आने वाले उमूमन हुज्जाज किराम हज्जे तमत्तो ही करते हैं, इसलिए हज्जे तमत्तो का बयान पहले थोड़ी तफसील से किया जायेगा। हज्जे क़िरान और हज्जे इफ़राद का ज़िक्र बाद में किया जायेगा।

– हज्जे इफ़राद में हज की कुर्बानी वाजिब नहीं, हाँ अगर कर लें तो बेहतर है,अलबत्ता हज्जे तमत्तो और हज्जे क़िरान में कुर्बानी करना वाजिब है।

वज़ाहतः मक्का मुकर्रमा और इसके क़रीब रहने वाले हज़रात सिर्फ हज्जे इफ़राद अदा करें, क्योंकि हज्जे तमत्तो और हज्जे क़िरान मीक़ात से बाहर रहने वालों के लिये है।

हज्जे तमत्तो:

अगर हज के महीनों में मीक़ात से सिर्फ उमरह का एहराम बांधें और उमरह करके एहराम खोल दें और घर वापस न जायें, फिर ७ या ८ ज़िलहिज्जा का एहराम बांधकर हज के आमाल अदा करें तो यह तमत्तो कहलायेगा।

हज्जे क़िरान:

अगर मीक़ात से हज और उमरह दोनों का एक साथ एहराम बांधें और एक ही एहराम से दोनो को अदा करने की नियत करें तो यह हज्जे क़िरान कहलायेगा। यह एहराम १० ज़िलहिज्जा तक बंधा रहेगा, उमरह करके एहराम नहीं खुलेगा बल्कि उमरह और हज दोनों की अदाएगी के बाद ही एहराम खुलेगा।

हज्जे इफ़राद:

अगर मीक़ात से सिर्फ हज का एहराम बाँधे और एहराम बांधते वक़्त सिर्फ हज की नियत करें तो यह इफ़राद कहलाऐगा। यह एहराम हज से फराग़त के बाद ही खुलेगा क्योंकि इसमें उमरह शामिल नहीं होता।

हज्जे तमत्तो का मुख़्तसर तरीक़ा

– मीक़ात से उमरह का एहराम बांधना।

– उमरह का तवाफ़ करना।

– उमरह की सई करना।

– बाल मुंडवाकर या कटवाकर एहराम उतारना।

– 7 या 8 ज़िलहिज्जा को हज का एहराम बांधना और मिना रवाना होना।

– 8 ज़िलहिज्जा को मिना में ठहरना।

– 9 ज़िलहिज्जा की सुबह मिना से अराफात के लिए रवाना होना।

– 9 ज़िलहिज्जा को अराफात पहुंचना और वहां नमाजे ज़ुहर व असर अदा करना।

– वुकूफ़े अरफ़ा (यानी क़िबला रुख खड़े होकर ख़ूब दुआएं करना)।

– सूरज डूबने के बाद अराफात से मुज़्दलफ़ा के लिए रवाना होना।

– मुज़्दलफ़ा में मग़रिब और इशा की नमाज़ इशा के वक़्त में पढ़ना।

– 10 ज़िलहिज्जा को नमाज़े फज्र अदा करके दुआएं करना (वुकूफ़ मुज़्दलफ़ा)।

– मुज़्दलफ़ा से कंकरियाँ लेते हुए मिना रवाना होना।

– मिना पहुंच कर बड़े और आखिरी जमरह पर कंकरियाँ मारना।

–क़ुर्बानी करना।

– बाल मुंडवाना या कटवाना और एहराम उतारना।

– तवाफ़े ज़ियारत (तवाफ़े इफाज़ा) यानी हज का तवाफ़ करना।

– हज की सई करना।

नोटः इमाम अबू हनीफा (रह॰) और हनफी उलमा ने अहादीस की रौशनी में फरमाया है कि क़ुर्बानी, हल्क़ या क़स्र (बाल मुंडवाना या छोटे कराना) और तवाफ़े ज़ियारत का वक़्त 10 ज़िलहिज्जा की सुबह से 12 ज़िलहिज्जा के सूरज डूबने तक है, लिहाज़ा यह अमाल अगर 10 ज़िलहिज्जा को नहीं कर सके तो 11 या 12 ज़िलहिज्जा को भी कर सकते हैं।

– 11 और 12 ज़िलहिज्जा को मिना में क़याम करना।

– 11 और 12 ज़िलहिज्जा को तीनों जमरात पर ज़वाल के बाद कंकरियाँ मारना।

– 12 ज़िलहिज्जा को कंकरियाँ मारने के बाद मक्का जाने की इजाज़त।

– मिना में रात गुज़ारने पर 13 ज़िलहिज्जा को भी कंकरियाँ मारना।

– तवाफ़े विदा करना।

हज्जे क़िरान का मुख़्तसर तरीक़ा

— मीक़ात से उमरह और हज का एक साथ एहराम बांधना।

— उमरह का तवाफ़ करना।

— उमरह की सई करना।

— बाल नहीं कटवाना और एहराम ही की हालत में रहना।

— तवाफ़े क़ुदूम (सुन्नत) की अदाएगी करना।

— 8 ज़िलहिज्जा को मिना रवानगी और मिना में क़याम करना।

— 9 ज़िलहिज्जा की सुबह मिना से अराफात के लिए रवाना होना।

— 9 ज़िलहिज्जा को अराफात पहुंचना और वहां नमाज़े ज़ुहर व अस्र अदा करना।

— वुक़ूफ़े अरफ़ा (यानी क़िबला रूख खडे होकर ख़ूब दुआएं करना)।

— सूरज डूबने के बाद अरफ़ात से मुज़्दलफ़ा के लिए रवाना होना।

— मुज़्दलफ़ा में मग़रिब और इशा की नमाज़ इशा के वक़्त में पढ़ना।

— 10 ज़िलहिज्जा को नमाज़े फज्र अदा करके दुआएं करना (वुकूफ़े मुज़्दलफ़ा)।

— मुज़्दलफ़ा से कंकरियाँ लेते हुए मिना रवाना होना।

— मिना पहुंच कर बड़े और आखिरी जमरह पर कंकरियाँ मारना।

— क़ुर्बानी करना।

— बाल मुंडवाना या कटवाना और एहराम उतारना।

— तवाफ़े ज़ियारत (तवाफ़े इफाज़ा) यानी हज का तवाफ़ करना।

— हज की सई करना।

नोटः इमाम अबू हनीफा (रह॰) और हनफी उलमा ने अहादीस की रौशनी में फरमाया है कि क़ुर्बानी, हल्क़ या क़स्र (बाल मुंडवाना या छोटे कराना) और तवाफ़े ज़ियारत का वक़्त 10 ज़िलहिज्जा की सुबह से 12 ज़िलहिज्जा के सूरज डूबने तक है, लिहाज़ा यह आमाल अगर 10 ज़िलहिज्जा को नहीं कर सके तो 11 या 12 ज़िलहिज्जा को भी कर सकते हैं।

— 11 और 12 ज़िलहिज्जा को मिना में क़याम करना।

— 11 और 12 ज़िलहिज्जा को तीनों जमरात पर ज़वाल के बाद कंकरियाँ मारना।

— 12 ज़िलहिज्जा को कंकरियाँ मारने के बाद मक्का जाने की इजाज़त।

— मिना में रात गुज़ारने पर 13 ज़िलहिज्जा को भी कंकरियाँ मारना।

— तवाफ़े विदा करना।

हज्जे इफ़राद का मुख़्तसर तरीक़ा

— मीक़ात से सिर्फ हज का एहराम बांधना।

— तवाफ़ कुदूमे करना जोकि सुन्नत है।

— अगर चाहें तो हज की सई मिना जाने से पहले कर लें।

— एहराम ही की हालत में रहना।

— एहराम पहनने के दौरान मना किये गये कामों से बचना।

— 8 ज़िलहिज्जा को मिना रवानगी और मिना में क़याम करना।

— 9 ज़िलहिज्जा की सुबह मिना से अराफात के लिए रवाना होना।

— 9 ज़िलहिज्जा को अरफात पहुंचना और वहां नमाजे ज़ुहर व अस्र अदा करना।

— वुकूफ़े अरफ़ा (यानी क़िबला रुख खड़े होकर ख़ूब दुआएं करना)।

— सूरज डूबने के बाद अरफ़ात से मुज़्दलफ़ा के लिए रवाना होना।

— मुज़्दलफ़ा में मग़रिब और इशा की नमाज़ इशा के वक़्त में पढ़ना।

– 10 ज़िलहिज्जा को नमाज़ फज्र अदा करके दुआएं करना (वुक़ूफ़े मुज़्दलफ़ा)।

– मुज़्दलफ़ा से कंकरियाँ लेते हुए मिना रवाना होना।

– मिना पहुंच कर बड़े और आखिरी जमरह पर कंकरियाँ मारना।

– क़ुर्बानी करना (हज्जे इफ़राद में वाजिब नहीं है)।

– बाल मुंडवाना या कटवाना और एहराम उतारना।

– तवाफ़े ज़ियारत (तवाफ़े इफाज़ा) यानी हज का तवाफ़ करना।

– हज की सई करना, अगर मिना आने से पहले नहीं की है।

नोटः इमाम अबू हनीफा (रह॰) और हनफी उलमा ने अहादीस की रौशनी में फरमाया है कि क़ुर्बानी, हल्क़ या क़स्र (बाल मुंडवाना या छोटे कराना) और तवाफ़े ज़ियारत का वक़्त 10 ज़िलहिज्जा की सुबह से 12 ज़िलहिज्जा के सूरज डूबने तक है, लिहाज़ा यह आमाल अगर 10 ज़िलहिज्जा को नहीं कर सके तो 11 या 12 ज़िलहिज्जा को भी कर सकते हैं।

– 11 और 12 ज़िलहिज्जा को मिना में क़याम करना।

– 11 और 12 ज़िलहिज्जा को तीनों जमरात पर ज़वाल के बाद कंकरियाँ मारना।

– 12 ज़िलहिज्जा को कंकरियाँ मारने के बाद मक्का जाने की इजाज़त।

– मिना में रात गुज़ारने पर 13 ज़िलहिज्जा को भी कंकरियाँ मारना।

– तवाफ़े विदा करना।

तवाफ़ और सई एक नज़र में

तवाफ़ की क़िस्में:

(1) तवाफ़े कुदूम यानी मक्का आने के वक़्त का तवाफ़ (यह उस शख़्स के लिए सुन्नत है जो मीक़ात के बाहर से आया हो और हज्जे इफ़राद या हज्जे क़िरान का इरादा रखता हो) हज्जे तमत्तो और उमरह करने वालों के लिए सुन्नत नहीं।

(2) तवाफ़े उमरह यानी उमरह का तवाफ़।

(3) तवाफ़े ज़ियारत यानी हज का तवाफ़, यह हज का रुक्न है, इस तवाफ़ के बग़ैर हज पूरा नहीं होता।

(4) तवाफ़े विदा यानी रुख़्सत के वक़्त का तवाफ़।

(5) नफ़्ली तवाफ़।

(6) तवाफ़े तहिय्याः मस्जिदे हराम में दाखिल होते वक़्त।

वज़ाहतः हर तवाफ़ में बैतुल्लाह के सात चक्कर होते हैं और हर चक्कर हज्रे असवद से शुरू होकर इसी पर ख़त्म होता है और इसके बाद मस्जिदे हराम में किसी भी जगह 2 रकात की अदाएगी की जाती है।

हज में ज़रूरी तवाफ़ों की तादाद

हज्जे तमत्तो में 3 (तवाफ़े उमरह, तवाफ़े ज़ियारत और तवाफ़े विदा)

हज्जे क़िरान में 3 (तवाफ़ उमरह, तवाफ़े ज़ियारत और तवाफ़े विदा)

हज्जे इफ़राद में 3 (तवाफ़े ज़ियारत और तवाफ़े विदा)

नफ़्ली तवाफ़ः नफ़्ली तवाफ़ की कोई तादाद नहीं, रात या दिन में जब चाहें और जितने चाहें करें। बाहर से आने वाले हज़रात मस्जिदे हराम में नफ़्ली नमाज पढ़ने के बजाये नफ़्ली तवाफ़ ज़्यादा करें।

वज़ाहतः दो तवाफ़ इस तरह इकट्ठे करना मकरूह है कि तवाफ़ की दो रकात दरमियान में अदा न करें, लिहाज़ा पहले एक तवाफ़ मुकम्मल करके दो रकात अदा कर लें फिर दूसरा तवाफ़ शुरू करें। लेकिन अगर उस वक़्त नमाज पढ़ना मकरूह हो तो दो तवाफ़ों का इकट्ठा करना जाएज़ है। याद रखें कि हर नफ़्ली तवाफ़ के बाद भी दो रकात नमाज़ अदा करना ज़रूरी है।

तवाफ़ के दौरान जाएज़ काम

(1) ज़रूरत के वक़्त बात करना।

(2) शरई मसाइल बताना और पूछना।

(3) ज़रूरत के वक़्त तवाफ़ रोकना।

(4) शरई मजबूरी की वजह से व्हील चेयर पर तवाफ़ करना।

(5) सलाम करना।

सईः सफ़ा मरवह के दरमियान सात चक्कर (सई की इब्तेदा सफ़ा से और ख़ात्मा मरवह पर)

हज में ज़रूरी सई की तादाद

हज्जे तमत्तो में दो (एक उमरह की और एक हज की)।
हज्जे क़िरान में दो (एक उमरह की और एक हज की)।
हज्जे इफ़राद में एक (सिर्फ हज की)।
नफ़्ली सईः नफ़्ली सई का कोई सबूत नहीं है।

सई के कुछ अहकाम

(1) सई से पहले तवाफ़ को मुकम्मल कर लेना।

(2) सफ़ा से सई की इब्तेदा करके मरवह पर सात चक्कर पूरे करना।

(3) सफ़ा पहाड़ी पर थोड़ा चढ़कर क़िबला रुख खड़े होकर दुआएं करना।

(4) मर्दों का सब्ज़ सुतूनों के दरमियान तेज़ तेज़ चलना।

(5) मरवह पहाड़ी पर क़िबला रुख खड़े होकर दुआएं मांगना।

(6) सफ़ा और मरवह के दरमियान चलते चलते अल्लाह तआला से दुआएं मांगना या अल्लाह का ज़िक्र करना या कुरान करीम की तिलावत करना।

(7) पैदल चल कर सई करना।

सई के दौरान जाएज़ काम

(1) बग़ैर वुज़ू के सई करना।

(2) औरतों का हालते माहवारी में सई करना।

(3) सई के दौरान बातचीत करना।

(4) ज़रूरत पड़ने पर सई का सिलसिला बंद करना।

(5) शरई मज़बूरी की बिना पर व्हील चेयर पर सई करना।

सफ़र का आग़ाज़

जब आप घर से रवाना हों और मकरूह वक़्त न हो तो दो रकात नफ्ल अदा करें। सलाम फेरने के बाद अल्लाह तआला से सफ़र की आसानी के लिए और हज के मक़बूल व मबरूर होने के लिए ख़ूब दुआ करें।

अगर याद हो तो घर से निकलते यह दुआ भी पढ़ लें

बिस्मिल्लाहि आमन्तु बिल्लाहि वतवक्कलतु अलल्लाहि वला हउला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।

सवारी पर सवार होकर तीन मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर यह दुआ भी पढ़ लें।

सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून।

सफर् में नमाज़ को क़स्र करनाः

चूंकि यह सफ़र 47 मील यानी तक़रीबन 77 किलोमीटर से ज़्यादा का है, इसलिए जब आप अपने शहर की हदों से बाहर निकलेंगे तो आप शरई मुसाफिर हो जायेंगे, लिहाज़ा ज़ुहर, अस्र और इशा की चार चार रकात के बजाये दो दो रकात फर्ज़ अदा केंरऔर फ़ज्र की दो और मग़रिब की तीन ही रकात अदा करें, अलबत्ता किसी मुक़ीम इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ें तो इमाम के साथ पूरी नमाज़ अदा करें।

हाँ अगर इमाम भी मुसाफिर हो तो चार के बजाये दो ही रकात पढ़ें। सुन्नतों और नफ्ल का हुक्म यह है कि अगर इत्मिनान का वक़्त है तो पूरी पढ़ें और अगर जल्दी है या थकन है या कोई और दुश्वारी है तो न पढ़ें, कोई गुनाह नहीं, अलबत्ता वित्र और फज्र की दो रकात सुन्नतों को न छोड़ें।

ज़रूरी सामाने सफ़र: इस मुबारक सफ़र में यह सामान ज़रूर साथ रखें:

(1) पासपोर्ट।

(2) हवाई जहाज़ का टिकट।

(3) एहराम की चादरें।

(4) पहनने के लिए कुछ जोड़ी कपड़े।

(5) ओढ़ने और बिछाने वाली चादरें।

(6) हज के विषय पर किताबें।

(7) मिसवाक।

(8) मुसल्ला।

मीक़ात का बयान

मीक़ात असल में ख़ास वक़्त और ख़ास जगह का नाम है।

मीक़ाते ज़मानी: शव्वाल की पहली तारीख से लेकर 9 ज़िलहिज्जा तक का ज़माना मीक़ाते ज़मानी है जिसको अश्हुरे हज यानी हज के महीने भी कहा जाता है। हज का एहराम इसी मुद्दत के अन्दर अन्दर बांधा जा सकता है (यानी एक शव्वाल से पहले और 9 ज़िलहिज्जा के बाद हज का एहराम नहीं बांधा जा सकता)।

मीक़ाते मकानी: वह जगहें जहाँ से हज या उमरह करने वाले हज़रात एहराम बांधते हैं:

1) अहले मदीना और इसके रास्ते से आने वालों के लिए "ज़ुलहुलैफा" (नया नाम "बीरे अली") मीक़ात है, मक्का मुकर्रमा से तक़रीबन 420 किलोमीटर दूर है।

2) अहले शाम और इसके रास्ते से आने वालों के लिए (मसलन मिस्र, लीबिया, अलजज़ाएर, मराक़श वगैरह) "जोहफ़ा" मीक़ात है। यह मक्का मुकर्रमा से तक़रीबन 186 किलोमीटर दूर है।

3) अहले नज्द और इसके रास्ते से आने वालों के लिए (मसलन बहरैन, क़तर, दम्माम, रियाज़ वग़ैरह) “क़रनुल मनाज़िल” मीक़ात है, इसको आजकल “अस्सैलुल कबीर” कहा जाता है। यह मक्का मुकर्रमा से तक़रीबन 78 किलोमीटर दूर है।

4) अहले यमन और इसके रास्ते से आने वालों के लिए (मसलन हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेश वगैरह) “यलमलम” (सादिया) मीक़ात है। मक्का मुकर्रमा से इसकी दूरी 120 किलोमीटर है।

5) अहले इराक़ और इसके रास्ते से आने वालों के लिए “ज़ाते इर्क़ ” मीक़ात है। यह मक्का मुकर्रमा से 100 किलोमीटर पूरब में है।

– **आफ़ाक़ी** (जो हुदूदे मीक़ात यानी मीक़ात की सीमाओं से बाहर रहते हैं) हज और उमरह का एहराम इन मज़कूरा पांच मीक़ातों में से किसी एक मीक़ात पर या इससे पहले या इसके सामने बांधें।

– **अहले हिल** (जिनकी रिहाइश मीक़ात और हुदूदे हरम के दरमियान है, मसलन जद्दह के रहने वाले) हज और उमरह दोनों का एहराम अपने घर से बांधें।

— अहले हरम (जो हुदूदे हरम के अन्दर मुस्तक़िल या आरज़ी तौर पर रह रहे हैं) हज का एहराम अपनी रिहाइश ही से बांधें, अलबत्ता उमरह के लिए उन्हें हरम से बाहर हिल में जाकर एहराम बांधना होगा।

हरम: मक्का मुकर्रमा के चारों तरफ़ कुछ दूर तक की ज़मीन हरम कहलाती है। सबसे पहले हज़रत जिबरईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस जगह के बारे में बताया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ निशानात लगा दिये थे। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा बनवाये, फिर बाद में इसकी तजदीद (नवीनीकरण) होती रही। जब आप इस पाक ज़मीन यानी हरम में दाखिल हों तो यह दुआ पढ़ें: (अगर याद हो)

अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा हरमुका व हरमु रसूलिका, फहर्रिम लहमी व दमी व अज़मी व बशरी अलन्नार अल्लाहुम्मा आमिन्नी मिन अज़ाबिका यऊमा तबअसु इबादका।

ऐ अल्लाह! यह तेरा और तेरे रसूल का हरम है तू (यहाँ की हाज़िरी की बरकत से) मेरे गोश्त, मेरे खून, मेरी खाल और मेरी हड्डियों को जहन्नम पर हराम कर दे और क़यामत के दिन अपने अज़ाब से मुझे अम्न में रख।

हरम के हुदूद (सीमायें):

– जद्दह की तरफ मक्का मुकर्रमा से तक़रीबन 16 किलोमीटर के फ़ासले पर शुमेसी तक हरम है (इसी के क़रीब वह जगह है जहाँ 6 हिजरी में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उमरह करने से मक्का के काफिरों ने रोक दिया था और फिर सुलह करके बग़ैर उमरह किये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस आ गये थे। यहीं हुदैबिया का वह मैदान है जिस के पेड़ के नीचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबए किराम से मौत पर बैअत ली थी)।

– मदीना तैय्यबा की तरफ तनईम (जहाँ मस्जिदे आइशा बनी हुई है) तक हरम है जो मस्जिदे हराम से तक़रीबन सात किलोमीटर के फ़ासले पर है।

– यमन की तरफ इज़ाअते लब्न तक हरम है जो मक्का से तक़रीबन 11 किलोमीटर के फ़ासले पर है।

– इराक़ की तरफ तक़रीबन 11 किलोमीटर तक हरम है।

– जेइर्राना की तरफ तक़रीबन 20 किलोमीटर तक हरम है।

– ताइफ की तरफ अराफात तक हरम है जो मक्का मुकर्रमा से तक़रीबन 12 किलोमीटर के फ़ासले पर है।

हरम का हुक्म: इस मुक़द्दस सरज़मीन में हर शख़्स के लिए चंद चीज़ें करना हराम हैं, चाहे वहां का रहने वाला हो या हज व उमरह करने के लिए आया हो।

1) यहाँ के खुद उगे हुए दरख़्त या पौधे काटना।

2) यहाँ के किसी जानवर का शिकार करना या उसको छेड़ना।

3) गिरी पड़ी चीज़ का उठाना।

4) ग़ैर मुस्लिमों का हुदूदे हरम में दाखिला बिल्कुल हराम है।

वज़ाहत: तकलीफ़दह जानवर जैसे साँप, बिच्छू, गिरगिट, छिपकली, मक्खी, खटमल वग़ैरह को हरम में भी मारना जाएज़ है।

हिल और उसका हुक्म: मीक़ात और हरम के दरमियान की सरज़मीन हिल कहलाती है जिसमें खुद उगे हुए पेड़ों को काटना और जानवर का शिकार करना हलाल है। मक्का मुकर्रमा में रहने वाले या हज करने के लिए दूसरी जगहों से आने वाले हज़रात नफ़्ली उमरे का एहराम हिल जाकर ही बांधते हैं।

हज्जे तमत्तो का तफ़्सीली बयान

अगर आपने हज्जे तमत्तो का इरादा किया है तो मीक़ात से सिर्फ़ उमरह का एहराम बाँधे और उमरह से फारिग़ होकर एहराम खोल दें, फिर 7 या 8 ज़िलहिज्जा को मक्का मुकर्रमा ही से हज का एहराम बांधकर हज अदा करें।

उमरह का तरीक़ा: उमरह में चार काम करने होते हैं:

(1) मीक़ात से उमरह का एहराम बांधना। (फर्ज़)

(2) मक्का पहुंचकर ख़ाना काबा का तवाफ़ करना। (फर्ज़)

(3) सफा मरवह की सई करना। (वाजिब)

(4) सर के बाल मुंडवाना या कटवाना। (वाजिब)

एहराम: एहराम बांधने से पहले तहारत और पाकीज़गी का ख़ास ख़्याल रखें, नाखुन काट लें और जेरे नाफ़ व बग़ल के बाल साफ़ कर लें, सुन्नत के मुताबिक गुस्ल कर लें, सिर्फ़ वुज़ू करना भी काफ़ी है और एहराम यानी एक सफ़ेद तहबंद बांध लें और एक सफेद चादर ओढ़ लें (तहबंद नाफ़ के ऊपर इस तरह बांधें कि टख़ने खुले रहें) और इन्ही दो

कपड़ो में दो रकात नमाज़े नफ्ल अदा करें और उमरह करने की नियत करें: ऐ अल्लाह! मैं आपकी रज़ा के वास्ते उमरह की नियत करता हूँ, इसको मेरे लिए आसान फरमा और अपने फज़्ल व करम से क़बूल फरमा। इसके बाद थोड़ी बुलन्द आवाज़ से तीन बार तलबिया पढ़ें:

लब्बैक अल्लाहहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, इन्नलहम्दा वन्नेअमता लका वलमुल्क ला शरीका लक

मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ, बेशक तमाम तारीफ़ें और सब नेमतें तेरी ही हैं, मुल्क और बादशाहत तेरी ही है, तेरा कोई शरीक नहीं।

वज़ाहत: औरतों के एहराम के लिए कोई ख़ास लिबास नहीं, बस गुस्ल वगैरह से फारिग़ होकर आम लिबास पहन लें और चेहरे से कपड़ा हटा लें, फिर नियत करके आहिस्ता से तलबिया पढ़ें।

– गुस्ल से फारिग़ होकर एहराम बांधने से पहले बदन पर खुशबू लगाना भी सुन्नत है।

– चूंकि एहराम की पाबंदियाँ तलबिया पढ़ने के बाद ही शुरू होती हैं, लिहाज़ा तलबिया पढ़ने से पहले गुस्ल के दौरान

साबुन और तौलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं और बालों में कंघा भी कर सकते हैं।

अहम हिदायत: मीक़ात पर पहुंच कर या उससे पहले पहले एहराम बांधना ज़रूरी है। चूंकि हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और बंगलादेश वग़ैरह से हज पर जाने वाले हज़रात हवाई जहाज़ से जाते हैं और उनको जद्दह में उतरना है, मीक़ात जद्दह से पहले ही रह जाती है, लिहाज़ा उन के लिए बेहतर है कि हवाई जहाज पर सवार होने से पहले ही एहराम बांध लें या हवाई जहाज में अपने साथ एहराम लेकर बैठ जायें और फिर रास्ते में मीक़ात से पहले पहले बांध लें और अगर मौक़ा हो तो दो रकात भी अदा कर लें। फिर नियत करके तलबिया पढ़ें। एयरपोर्ट पर या हवाई जहाज मे एहराम बांधने की सूरत में एहराम बांधने से पहले तहारत और पाकीज़गी का हासिल करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए जब घर से रवाना हो तो नाखुन वग़ैरह काटकर मुकम्मल तहारत हासिल कर लें।

एहराम बांधने के बाद नियत करने और तलबिया पढ़ने में ताख़ीर की जा सकती है, यानी आप एहराम हवाई जहाज़ पर सवार होने से पहले बांध लें और तलबिया मीक़ात के आने पर या उससे कुछ पहले पढ़ें। याद रखें कि नियत

करके तलबिया पढ़ने के बाद ही एहराम की पाबंदियाँ शुरू होती हैं।

अगर आप अपने वतन से सीधे मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं तो मदीना मुनव्वरा जाने के लिए एहराम की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब आप मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा जायें तो मदीना मुनव्वरा की मीक़ात पर एहराम बांध लें।

तम्बीह: अगर आप बग़ैर एहराम के मीक़ात से निकल गये तो आगे जाकर किसी भी जगह एहराम बांध लें, लेकिन आप पर एक दम लाज़िम हो गया। हाँ अगर पहले ज़िक्र की गयी पांच मीक़ातों में से किसी एक पर या इसके सामने पहुंच कर एहराम बांध लिया तो फिर दम वाज़िब ना होगा।

तलबिया क्या है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर से फारिग होकर अल्लाह तआला के हुक्म से एलान किया कि लोगो! तुम पर अल्लाह तआला ने हज फर्ज़ किया है हज को आओ। अल्लाह के बंदे हज या उमरह का एहराम बांधकर जो तलबिया पढ़ते हैं गोया वह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इसी पुकार के जवाब में अर्ज़ करते ैंह कि ऐ हमारे मौला! तू ने अपने ख़लील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से एलान कराके हमें अपने

पाक घर बुलवाया था, हम तेरे दर पर हाज़िर हैं, हाज़िर हैं। ऐ अल्लाह! हम हाज़िर हैं।

हज़रत सहल बिन सअद (रज़ि॰) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया: जब हाजी लब्बैक कहता है तो उसके साथ उसके दायें और बायें तरफ जो पत्थर, पेड़ और ढेले वगैरह होते हैं वह भी लब्बैक कहते हैं और इसी तरह ज़मीन की इन्तहा तक यह सिलसिला चलता रहता है, (यानी हर चीज़ साथ में लब्बैक कहती है)। (तिर्मिज़ी)

– तलबिया पढ़ने के बाद हल्की आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें और यह दुआ पढ़ें (अगर याद हो) अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़ाका वल्जन्नता व अऊज़ु बिका मिन ग़ज़बिका वन्नार। ऐ अल्लाह! मैं आपकी रज़ामंदी और जन्नत का सवाल करता हूँ और आपकी नाराज़गी और दोजख़ से पनाह मांगता हूँ।

तलबिया पढ़ने के साथ ही आपका एहराम बंध गया, अब से लेकर मस्जिदे हराम पहुंचने तक यही तलबिया सबसे बेहतर ज़िक्र है, लिहाज़ा थोड़ी बुलन्द आवाज़ के साथ बार-बार तलबिया पढ़ते रहें। एहराम बांधने के बाद कुछ चीज़ें हराम हो जाती हैं जिनका बयान अगले पेज पर आ रहा है।

ममनूआते एहराम

(वह काम जिनका करना एहराम बांधने के बाद मना है)

एहराम बांध कर तलबिया पढ़ने के बाद यह चीज़ें हराम हो जाती हैं:

ममनूआते एहराम मर्दों और औरतों दोनों के लिए:

(1) ख़ुश्बू इस्तेमाल करना।

(2) नाख़ुन काटना।

(3) जिस्म से बाल दूर करना।

(4) चेहरे का ढ़ांकना।

(5) मिया बीवी वाले ख़ास तअल्लुक़ और जिन्सी शहवत के काम करना।

(6) ख़ुश्की के जानवर का शिकार करना।

ममनूआते एहराम सिर्फ़ मर्दों के लिए

(1) सिले हुए कपड़े पहनना।

(2) सर को टोपी या पगड़ी या चादर वगैरह से ढांकना।

(3) ऐसा जूता पहनना जिससे पांव के दरमियान की हड्डी छुप जाये।

मकरूहाते एहराम

(1) बदन से मैल दूर करना।

(2) साबुन का इस्तेमाल करना।

(3) कंघा करना।

एहराम की हालत में जाएज़ काम

(1) गुस्ल करना, लेकिन साबुन का इस्तेमाल ना करें।

(2) एहराम को धोना और उसको बदलना।

(3) अंगूठी, घड़ी, चश्मा, छतरी वग़ैरह का इस्तेमाल करना।

(4) मरहम पट्टी करवाना और दवायें खाना।

(5) तकलीफ़ देने वाले जानवर का मारना जैसे सांप, बिच्छू, गिरगिट, छिपकली, भिड़, खटमल, मक्खी और मच्छर वग़ैरह।

(6) खाने में घी, तेल वग़ैरह का इस्तेमाल करना।

(7) एहराम के ऊपर अलग से चादर डाल कर सोना। मगर मर्द अपने सर और चेहरे को और औरतें अपने चेहरे को खुला रखें।

वज़ाहत: एहराम की हालत में अगर एहतेलाम (स्वपनदोष) हो जाये तो इससे एहराम में कोई फर्क़ नहीं पड़ता,क़पड़ा और जिस्म धोकर गुस्ल कर लें और अगर एहराम की चादर बदलने की ज़रूरत हो तो दूसरी चादर इस्तेमाल कर लें।

मस्जिदे हराम की हाज़िरी

मक्का मुकर्रमा पहुंच कर सामान वगैरह अपनी क़यामगाह पर रख कर अगर आराम की ज़रूरत हो तो थोड़ा आराम कर लें वरना वुज़ू या गुस्ल करके उमरह करने के लिए मस्जिदे हराम की तरफ इन्तहाई सुकून और इत्मिनान के साथ तलबिया (लब्बैक) पढ़ते हुए चलें। दरबारे इलाही की अज़मत व बड़ाई का लिहाज़ रखते हुए दायां क़दम अन्दर रख कर मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ते हुए मस्जिदे हराम में दाखिल हो जायें:

बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि, अल्लाहुम्मगफिरली ज़ुनूबी वफ़्तहली अबवाबा रहमतिक

काबा पर पहली नज़र: जिस वक़्त खाना काबा पर पहली नज़र पड़े तो तीन मरतबा (अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह) कहें और यह दुआ पढ़ें: (अगर दुआ याद हो)

अल्लाहुम्मा ज़िद हाज़ल बैता तशरीफन व ताज़ीमन व तकरीमन व महाबतन व ज़िद मन शर्रफहु व कर्रमहु मिम्मन हज्जहु अव इअतमरहु तशरीफन व तकरीमन व ताज़ीमन व बिर्रन, अल्लाहुम्मा अन्तस्सलाम व मिनकस्सलाम, फ़हय्यिना रब्बना बिस्सलाम।

(ऐ अल्लाह! इस घर की शराफत व अज़मत व बुर्ज़ुगी और हैबत बढ़ा, और जो इसकी ज़ियारत करने वाला हो, इसकी इज़्ज़त व एहतराम करने वाला हो ख़्वाह हज करने वाला हो या उमरह करने वाला उसकी भी शराफत और बुज़ुर्गी और भलाई ज़्यादा फरमा दे। ऐ अल्लाह! आपका नाम सलाम है और आप ही की तरफ से सलामती मिल सकती है, बस हम को सलामती के साथ ज़िन्दा रख)।

उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ कर जो चाहें अपनी ज़बान में अल्लाह ताला से मांगें, क्योंकि यह दुआओं के क़ुबूल होने का ख़ास वक़्त है।

वज़ाहत:

– मक्का मुकर्रमा पहुंच कर फौरन ही तवाफ़ करने के लिए मस्जिदे हराम जाना ज़रूरी नहीं, बल्कि पहले अपनी रिहाइशगाह में अपना सामान वगैरह हिफ़ाजत से रख लें और अगर आराम की ज़रूरत हो तो आराम भी कर लें।

– अपनी बिल्डिंग का नम्बर और उसके आसपास की कोई निशानी या अलामत और हरम शरीफ का सबसे ज़्यादा क़रीब वाला दरवाज़ा ज़रूर याद रखें। जिन हज़रात के साथ ख़्वातीन हैं वह अपनी ख़्वातीन को भी मस्जिदे हराम से होटल तक के रास्ते की अच्छी तरह पहचान करा दें और

हर अमल के करने से पहले, बाद में मिलने की जगह और वक़्त भी तय कर लें।

– मस्जिदे हराम में दाखिल होकर तहिय्यतुल मस्जिद की दो रकात नमाज़ ना पढ़ें, क्योंकि इस मस्जिद का तहिय्या तवाफ़ है। अगर किसी वजह से फौरन तवाफ़ करने का इरादा ना हो तो फिर तहिय्यतुल मस्जिद की दो रकात पढ़नी चाहिए।

तवाफ़

मस्जिदे हराम में दाखिल होकर काबा शरीफ के उस हिस्से के सामने आ जायें जिस में हज्रे असवद लगा हुआ है और तवाफ़ की नियत कर लें। उमरह की सई भी करनी है, इसलिए मर्द हज़रात इज़्तेबाअ कर लें (यानी एहराम की चादर को दायीं बग़ल के नीचे से निकाल कर बायें मूंढे के ऊपर डाल लें) फिर हज्रे असवद के सामने खड़े होकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हुए हज्रे असवद को चूमें या दोनो हाथों की हथलियों को हज्रे असवद की तरफ़ करके हाथों को चूमें और फिर काबा को बायीं तरफ़ रखकर तवाफ़ शुरू कर दें। मर्द हज़रात पहले तीन चक्कर ें म (अगर मुमकिन हो) रमल करें, यानी ज़रा कन्धे हिला के और अकड़ के छोटे छोटे क़दम के साथ किसी हद तक तेज़ चलें। तवाफ़ करते वक़्त निगाह सामने रखें, यानी काबा शरीफ़ आपके बायें तरफ़ रहे। तवाफ़ के दौरान बगैर हाथ उठाये चलते चलते दुआएं करते रहें। आगे एक आधे घेरे वाली चार पांच फिट ऊंची दीवार आपके बायें जानिब आयेगी इसको हतीम कहते हैं। उसके बाद जब ख़ाना काबा का तीसरा कोना आ जाये जिसे रुक्ने यमानी कहते हैं (अगर मुमकिन हो) तो दोनों हाथ या सिर्फ दाहिना हाथ इस पर

फेरें, वर्ना उसकी तरफ़ इशारा किये बग़ैर यूं ही गुज़र जायें। रुक्ने यमानी और हज्रे असवद के दरमियान चलते हुए यह दुआ बार बार पढ़ें:

रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतऊं व फिल आखिरति हसनतऊं व क़िना अज़ाबन्नार।

फिर हज्रे असवद के सामने पहुंच कर उसकी तरफ़ हथेलियों का रुख करें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहें और हथेलियों को चूमें। इस तरह आपका एक चक्कर पूरा हो गया, इसके बाद बाक़ी छः चक्कर बिल्कुल इसी तरह करें। कुल सात चक्कर करने हैं, आखिरी चक्कर के बाद भी हज्रे असवद का इस्तलाम करें।

वज़ाहत:

– तलबिया जो अब तक बराबर पढ़ रहे थे मस्जिदे हराम में दाखिल होने के बाद बंद कर दें।

– तवाफ़ के दौरान कोई ख़ास दुआ ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो चाहें और जिस ज़बान में चाहें दुआ मांगते रहें, अगर कुछ भी न पढ़े बल्कि खामोश रहें तब भी तवाफ़ सही हो जाता है।

— तवाफ़ के दौरान ज़माअत की नमाज शुरू होने लगे या थकन हो जाये तो तवाफ़ रोक दें, फिर जिस जगह से तवाफ़ बंद किया था उसी जगह से तवाफ़ शुरू कर दें।

— नफ़्ली तवाफ़ में रमल और इज़्तेबाअ नहीं होता है।

— अगर तवाफ़ के दौरान वुज़ू टूट जाये तो तवाफ़ रोक दें और वुज़ू करके उसी जगह से तवाफ़ शुरू कर दें जहाँ से तवाफ़ बंद किया था, क्योंकि बग़ैर वुज़ू के तवाफ़ करना जाएज़ नहीं है।

— अगर तवाफ़ के चक्करों की तादाद में शक हो जाये तो कम तादाद शुमार करके बाक़ी चक्करों से तवाफ़ मुकम्मल करें।

— मस्जिदे हराम के अन्दर, ऊपर नीचे या मताफ यानी (तवाफ़ करने की जगह) में किसी भी जगह तवाफ़ कर सकते हैं।

— तवाफ़ हतीम के बाहर ही करें। अगर हतीम में दाखिल होकर तवाफ़ करेंगे तो वह माना नहीं जायेगा।

अहम मसअला: माज़ूर शख़्स जिसका वुज़ू नहीं ठहरता (मसलन पेशाब के क़तरे बराबर गिरते रहते हैं या औरत को बीमारी का ख़ून आ रहा है) तो उसके लिए हुक्म यह है कि वह नमाज़ के एक वक़्त में वुज़ू करे, फिर उस वुज़ू से

उस वक़्त में जितने चाहे तवाफ़ करे, नमाज़ पढ़े और क़ुरान की तिलावत करे, दूसरी नमाज़ का वक़्त दाखिल होते ही वुज़ू टूट जायेगा। अगर तवाफ़ मुकम्मल होने से पहले ही दूसरी नमाज़ का वक़्त दाखिल हो जाये तो वुज़ू करके तवाफ़ मुकम्मल करे।

दो रकात नमाज़: तवाफ़ से फ़राग़त के बाद मक़ामे इब्राहीम के पास आयें, उस वक़्त आपकी ज़बान पर यह आयत हो तो बेहतर हैः
वत्तखिज़ू मिम मक़ामि इबराहीमा मुसल्ला
अगर सहूलत से मक़ामे इब्राहीम के पीछे जगह मिल जाये तो वहां, वर्ना मस्जिदे हराम में किसी भी जगह तवाफ़ की दो रकात अदा करें।
वज़ाहत: तवाफ़ की इन दो रकात के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि पहली रकात में सूरह काफिरून और दूसरी रकात में सूरह इख़लास पढ़ी जाये।
हुजूम के दौरान मक़ामे इब्राहीम के पास तवाफ़ की दो रकात नमाज़ पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस से तवाफ़ करने वालों को तकलीफ़ होती है, बल्कि मस्जिदे हराम में किसी भी जगह अदा कर लें।

मक़ामे इब्राहीम: यह एक पत्थर है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा को तामीर किया था, इस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क़दमों के निशानात हैं। यह काबा के सामने एक जालीदार शीशे के छोटे से क़ुब्बा में महफ़ूज़ है जिसके चारो तरफ़ पीतल की खुशनुमा जाली लगी है।

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया: हज्रे असवद और मक़ामे इब्राहीम क़ीमती पत्थरों में से दो पत्थर हैं, अल्लाह तआला ने दोनों पत्थरों की रौशनी ख़त्म कर दी है, अगर अल्लाह तआला ऐसा ना करता तो यह दोनों पत्थर पूरब़ और पश्चिम के दरमियान हर चीज़ को रौशन कर देते। (इब्ने खुज़ैमा)

मुल्तज़म: तवाफ़ और नमाज़ से फ़राग़त के बाद मुल्तज़म पर आयें। हज्रे असवद और काबा के दरवाज़े के दरमियान 2 मीटर के क़रीब काबा की दीवार का जो हिस्सा है वह मुल्तज़म कहलाता है और इससे चिमट कर दुआएं मांगें, यह दुआओं के क़बूल होने की ख़ास जगह है।

वज़ाहत: हाजियों को तकलीफ़ देकर मुल्तज़म पर पहुंचना जाएज़ नहीं है, लिहाज़ा तवाफ़ करने वालो की तादाद अगर ज़्यादा हो तो वहां पहुंचने की कोशिश ना करें, क्योंकि वहां दुआएं करना सिर्फ सुन्नत है।

आबे ज़मज़म: तवाफ़ से फ़राग़त के बाद काबा की तरफ़ मुंह करके बिस्मिल्लाह पढ़कर तीन सांस में ख़ूब सैर होकर ज़मज़म का पानी पीयें और अलहम्दु लिल्लाह कहकर यह दुआ पढ़ें (अगर याद हो)

अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इलमन नफिअन व रिज़क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्ले दाइन।

(ऐ अल्लाह! मैं आपसे नफ़ा देने वाले इल्म का और कुशादा (पर्याप्त) रिज़्क़ का और हर मर्ज़ से शिफ़ायाबी का सवाल करता हूँ)

मस्जिदे हराम में हर जगह ज़मज़म का पानी आसानी से मिल जाता है। ज़मज़म का पानी खड़े होकर पीना मुस्तहब है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास (रज़ि॰) फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मज़म पिलाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पिया। (बुख़ारी)

ज़मज़म का पानी पीकर उसका कुछ हिस्सा सर और बदन पर डालना भी मुस्तहब है।

हज़रत जाबिर (रज़ि॰) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना: ज़मज़म का पानी जिस नियत से पिया जाये वही फ़ायदा उससे हासिल होता है। (इब्ने माजा)

हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास (रज़ि॰) से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: रूए ज़मीन पर सबसे बेहतर पानी ज़मज़म है जो भूखे के लिए खाना और बीमार के लिए शिफ़ा है। (तबरानी)

सफ़ा मरवह के दरमियान सई

सफ़ा पर पहुंच कर बेहतर यह है कि ज़बान से कहें:

अबदऊ मा बदअल्लाहु बिहि, इन्नस सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह।

फिर क़ाबा की तरफ़ मुंह करके दुआ की तरह हाथ उठा लें और तीन बार अल्लाहु अकबर कहें और अगर यह दुआ याद हो तो इसे भी तीन बार पढ़ें:

ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अलाकुल्लि शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु, अनजज़ वअदहु, व नसर अबदहु, व हज़मल अहज़ाब वहदहु

इसके बाद खडे होकर ख़ूब दुआएं मांगें (यह दुआओं के क़ुबूल होने का ख़ास मक़ाम और ख़ास वक़्त है)। दुआओं से फ़ारिग़ होकर नीचे उतरकर मरवह की तरफ़ आम चाल से चलें। बग़ैर हाथ उठाये दुआएं मांगते रहें या क़ुरान की तिलावत करते रहें। सई के दौरान भी कोई ख़ास दुआ लाज़िम नहीं, अलबत्ता इस दुआ को भी पढ़ते रहें:

रब्बिग़फिर वरहम, व तजावज़ अम्मा तअलम, इन्नका अन्तल अअज़्ज़ुल अकरम

जब उस जगह के क़रीब पहुंचें जहाँ हरी ट्यूब लाइटें लगी हुई हैं तो मर्द हज़रात ज़रा दौड़ कर चलें, इसके बाद जहाँ हरी ट्यूब लाइटें ख़त्म हो रही हैं वहां पहुंच कर दौड़ना बंद कर दें और आम चाल से चलें। मरवह पर पहुंच कर क़िबले की तरफ़ मुंह करके हाथ उठाकर दुआएं मांगें, यह सई का एक फेरा हो गया। इसी तरह मरवह से सफ़ा की तरफ़ चलें, यह दूसरा चक्कर हो जायेगा। इस तरह आखिरी व सातवां चक्कर मरवह पर ख़त्म होगा। (हर बार सफ़ा और मरवह पर पहुंच कर काबा की तरफ़ मुंह करके दुआएं करनी चाहिए)।

वज़ाहत

– सई के लिये वुज़ू का होना ज़रूरी नहीं, हाँ अफ़जल व बेहतर है।

– हैज़ (माहवारी) और निफ़ास की हालत में भी सई की जा सकती है, हाँ तवाफ हैज़ या निफ़ास की हालत में हरगिज़ ना करें, बल्कि मस्जिदे हराम में भी दाखिल न हों।

– तवाफ़ से फ़ारिग़ होकर अगर सई करने में देर हो जाये तो कोई हर्ज नहीं।

– सई को तवाफ़ के बाद करना शर्त है,तवाफ़ के बग़ैर कोई सई मानी नहीं जायेगी, चाहे उमरह की सई हो या हज की।

– सई के दौरान नमाज़ शुरू होने लगे या थक जायें तो सई को रोक दें, फिर जहाँ से सई को बंद किया था उसी जगह से दोबारा शुरू कर दें।

– तवाफ़ की तरह सई भी पैदल चल कर करना चाहिए, हाँ अगर कोई मजबूरी हो तो व्हील चेयर पर भी सई कर सकते हैं।

– अगर सई के चक्करों की तादाद में शक हो जाये तो कम तादाद शुमार करके बाक़ी चक्करों से सई पूरी करें।

बाल मुंडवाना या कटवाना

तवाफ़ और सई से फ़ारिग़ होकर सर के बाल मुंडवा दें या कटवा दें, मर्दों के लिए मुंडवाना अफ़जल है। (अगर हज के दिन क़रीब हैं तो बालों का छोटा कराना ही बेहतर है, ताकि हज के बाद सारे बाल मुंडवा दें) लेकिन औरतें चोटी के आखिर में से एक पोरे के बराबर बाल खुद काट लें या किसी महरम से कटवा लें।

तम्बीह: कुछ मर्द हज़रात सर के कुछ बाल एक तरफ़ से और कुछ बाल दूसरी तरफ़ से कैंची से काट कर एहराम खोल देते हैं, यह सही नहीं है, ऐसी सूरत में दम वाज़िब हो जायेगा, लिहाज़ा या तो सर के बाल मुंडवायें या इस तरह बालों को कटवायें कि पूरे सर के बाल कट जायें। अगर बाल ज़्यादा ही छोटे हों तो मुंडवाना ही लाज़िम है। सर के बाल मुंडवाने या कटवाने से पहले न एहराम खोलें और न ही नाख़ुन वग़ैरह काटें, वरना दम लाज़िम हो जायेगा।

उमरह ख़त्म हो गया: अब आप का उमरह पूरा हो गया। एहराम उतार दें, सिले हुए कपड़े पहन लें, खुशबू लगा लें। अब आप के लिए वह सब चीज़ें जाएज़ हो गयीं जो एहराम की वजह से नाजाएज़ हो गयी थीं। मगर इसको ना भूलें

कि आप ने हज्जे तमत्तो का इरादा किया है, उमरह से फराग़त हो गयी है, अभी हज करना बाक़ी है जिसके लिए 7 या 8 ज़िलहिज्जा को एहराम बांधा जायेगा। लिहाज़ा हज से फ़ारिग़ हुए बग़ैर घर वापिस ना जायें, बल्कि मक्का मुकर्रमा ही में रहें या मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के लिए चले जायें या किसी दूसरे शहर चले जायें, मगर घर वापस न जायें।

वज़ाहत: अगर कोई शख़्स हज के महीने (यानी शव्वाल या ज़िल क़अदा या ज़िलहिज्जा के पहले दस दिन) में उमरह करके अपने घर वापस चला गया, अब हज के दिनो में सिर्फ हज का एहराम बांधकर हज अदा कर रहा है तो यह हज तमत्तो नहीं होगा, क्योंकि हज तमत्तो के लिए यह शर्त है कि वह उमरह करके अपने घर वापस न जाये।

मक्का मुकर्रमा में ठहरने के दौरान काम

मक्का मुकर्रमा में ठहरने को एक अच्छा मौक़ा समझ कर ज़्यादा वक़्त मस्जिदे हराम में गुज़ारें, पांचों वक़्त की नमाज़ें मस्जिदे हराम ही में जमाअत से अदा करें, नफ़्ली तवाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़िक्र व तिलावत में अपने आप को मशगूल रखें और दूसरों को नेक कामों की तरफ़ तर्ग़ीब देते रहें।

वज़ाहत:

– मस्जिदे हराम में ज़्यादा नफ़्ली नमाज़ पढ़ने के बजाये ज़्यादा नफ़्ली तवाफ़ करना बेहतर है।

– अपनी तरफ़ से या अपने क़रीबी लोगों की तरफ़ से नफ़्ली उमरे करना चाहें तो तनईम या जेइर्राना या हिल में किसी भी जगह जाकर गुस्ल करके एहराम बांधें, दो रकात नमाज़ पढ़कर नियत करें और तलबिया पढ़ें, फिर उमरह का जो तरीक़ा बयान किया गया है उसके मुताबिक उमरह करें।

– तनईम मस्जिदे हराम से साढ़े सात किलो मीटर और जेइर्राना से बीस किलोमीटर दूर है, दोनों जगहों के लिए मस्जिदे हराम के सामने से हर वक़्त बसें और कारें मिलती

रहती हैं, हाँ तनईम (जहाँ से हज़रत आइशा (रज़ि॰) उमरह का एहराम बांधकर आयी थीं) जाना ज़्यादा आसान है।

– जिस तरह इस पाक सर ज़मीन पर हर नेकी का सवाब एक लाख के बराबर है इसी तरह गुनाह का वबाल भी बहुत सख़्त है, इसलिए लड़ाई झगड़ा, पीठ पीछे बुराई, फुज़ूल और बेफ़ायदा कामों से अपने आपको दूर रखें और बग़ैर ज़रूरत बाज़ारों में ना घूमें।

– अब चूंकि एहराम की पाबंदी ख़त्म हो गयी, इसलिए औरतें पूरे परदे के साथ रहें यानी चेहरे पर भी निक़ाब डालें, हाँ अगर नफ़्ली उमरह का एहराम बांधें तो फिर चेहरे पर निक़ाब ना डालें।

– ग़ारे हिरा या ग़ारे सौर या किसी दूसरी जगह की ज़ियारत के लिए जाना चाहें तो कोई हर्ज नहीं,अलबत्ता फ़ज्र की नमाज़ के बाद जाना ज़्यादा बेहतर है, ताकि ज़ुहर से पहले वापस आकर ज़ुहर की नमाज़ मस्जिदे हराम में अदा कर सकें।

एक से ज़्यादा उमरे करना

उमरह का कोई वक़्त मुतअय्यन नहीं, साल में पांच दिन जिन में हज अदा होता है बैहक़ी में मौजूद उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि॰) की हदीस की रौशनी में

हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह॰) ने 9 ज़िलहिज्जा से 13 ज़िलहिज्जा तक उमरह करना मकरूहे तहरीमी कहा है। इन पांच दिनों के अलावा साल भर में जब चाहें (रात या दिन में) और जितने चाहें उमरे करें, हज से पहले कर सकते हैं और हज के बाद भी, मगर उमरह ज़्यादा करने के बजाये तवाफ़ ज़्यादा करना बेहतर है।

वज़ाहत:

– जो हज़रात बार-बार उमरह करते हैं हर बार सर पर उस्तरा या मशीन फिरवायें, चाहे सर पर बाल हों या न हों।
– बार बार उमरह करने के लिए एहराम के कपड़ों को धोना या बदलना ज़रूरी नहीं है।

कुछ ज़ियारत की जगहें

मक्का मुकर्रमा में बहुत सी जगहें ऐसी हैं जिनसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िन्दगी के अहम वाक़्यात जुड़े हुए हैं। इन जगहों की ज़ियारत हज व उमरह का हिस्सा तो नहीं, लेकिन वहाँ जाकर सीरत के अहम वाक़्यात याद करने से ईमान ताज़ा होता है। इसलिए मक्का मुकर्रमा में रहते हुए आसानी के साथ अगर मौक़ा मिले और हिम्मत व ताक़त भी हो तो उन जगहों पर जाना और ज़ियारत करना बेहतर है।

वज़ाहत: अगर कोई शख़्स इन जगहों की ज़ियारत के लिए बिल्कुल ना जाये तो उसके हज या उमरह में कुछ कमी नहीं आयेगी, बल्कि ज़्यादा फिक्र मस्जिदे हराम में हाज़िरी की ही होनी चाहिए।

ग़ारे सौर: जहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के वक़्त तीन दिन क़याम किया था। यह ग़ार जबले सौर (सौर पहाड़) की चोटी के पास है। यह ग़ार तक़रीबन एक मील की चढ़ाई पर स्थित है।

ग़ारे हिरा: जहाँ कुरआने करीम नाज़िल होना शुरू हुआ, (सूरह इक़रा की इब्तदाई चंद आयात इसी जगह पर नाज़िल हुई थीं) यह ग़ार जबले नूर (नूर पहाड़) पर स्थित है।

मौलदुन्नबी: मरवह के क़रीब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जगह है, इस जगह पर इन दिनों लाइब्रेरी है।

मस्जिदे जिन: जहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात को तबलीग़ फ़रमाई थी।

जन्नतुल मुअल्ला: मक्का मुकर्रमा का क़ब्रिस्तान।

हज का तरीक़ा (हज के छः दिन)

8 ज़िलहिज्जा से 13 ज़िलहिज्जा तक के दिन हज के दिन कहलाते हैं, इन्हीं दिनों में इस्लाम का अहम रुक्न (हज) अदा होता है।

हज का पहला दिनः 8 ज़िलहिज्जा

एहरामः अगर हज का एहराम अभी तक नहीं बांधा है तो 7 या 8 ज़िलहिज्जा को बांध लें। जिस तरह उमरह का एहराम बांधने के लिए ग़ुस्ल वग़ैरह किया था इसी तरह मक्का मुकर्रमा ही ेंम अपने रहने की जगह या मस्जिदे हराम के क़रीब बने ग़ुस्ल ख़ानों में हर तरह की पाकीज़गी और सफ़ाई करके ग़ुस्ल करें और एहराम बांध लें, फिर दो रकात नफ़्ल नमाज़ पढ़ें और हज की नियत करके तलबिया पढ़ें। अब आप के लिए वह तमाम चीज़ें हराम हो गयीं जो उमरह का एहराम बांधने के बाद हराम हो गयी थीं। एहराम बांधने का तरीक़ा और इसके बारे में ज़रूरी मसाइल पेज़ नम्बर 34 से 36 पर गुज़र चुके हैं।

मिना रवानगी: 8 ज़िलहिज्जा की सुबह को थोड़ी बुलन्द आवाज़ के साथ तलबिया पढ़ते हुए मिना रवाना हो जायें और पांच नमाज़ें ज़ुहर, अस्र, मग़रिब, इशा और 9 ज़िलहिज्जा की फ़ज्र को उनके वक़्तों में जमाअत के साथ पढें। इसके साथ अल्लाह का ज़िक्र करें, क़ुरान की तिलावत करें और दूसरों को भी नेक आमाल की दावत दें।

वज़ाहत:

– आजकल मुअल्लिम हज़रात (प्रशिक्षक) 8 ज़िलहिज्जा की रात को ही मिना ले जाते हैं, इन्हीं के साथ चले जायें, कोई दम वग़ैरह वाजिब नहीं होगा।

– मिना मक्का मुकर्रमा से तक़रीबन 4-5 किलोमीटर के फासले पर दो तरफ़ा पहाड़ों के बीच एक बहुत बड़ा मैदान है। मिना में यह पांचों नमाज़ें पढ़ना और रात गुज़ारना सुन्नत है, लिहाज़ा इसमें अगर कोई कोताही हो जाये तो दम लाज़िम नहीं होगा, अलबत्ता जानबूझ कर कोताही ना करें।

– हज के यह चंद दिन आपके इस अज़ीम सफ़र का हासिल हैं, इसलिए खाने वग़ैरह में ज़्यादा वक़्त ना गवाएं, बल्कि खाना कम खायें, फलों और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, बल्कि ज़्यादा मसालेदार खाने से परहेज़ करें।

– मिना में खाने पीने का काफ़ी सामान मिलता है, इसलिए मक्का से ज़्यादा सामान लेकर ना जायें, हाँ थोड़ा ज़रूरत के लिए ले जा सकते हैं। मिना, अराफात और मुज़्दलफ़ा में खाने पकाने की हरगिज़ कोशिश ना करें।
– तलबिया पढ़ने का सिलसिला पहली कंकरी मारने तक जारी रहेगा।
– अगर आप हज के दिनों से इतना पहले मक्का मुकर्रमा पहुंच रहे हैं कि मक्का मुकर्रमा में 15 दिन क़याम से पहले ही हज शुरू हो जाता है और मिना चले जाते हैं तो आप मुसाफिर होंगे और मिना, अराफात और मुज़्दलिफा में 4 रकात वाली नमाज़ों में क़सर करना होगा, अलबत्ता किसी मुक़ीम इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं तो इमाम के साथ पूरी नमाज़ अदा करें, हाँ अगर इमाम भी मुसाफिर हो तो 4 के बज़ाये दो ही रकात पढ़ें।

हज का दूसरा दिन: 9 ज़िलहिज्जा

मिना से अराफात रवानगी: मिना में फ़ज्र की नमाज़ पढ़कर तकबीरे तशरीक़ कहें और तलबिया भी पढ़ें। नाश्ते वग़ैरह से फ़ारिग़ होकर ज़वाल से पहले पहले तलबिया पढ़ते हुए अरफात पहुंच जायें।

वज़ाहत:

— आजकल मुअल्लिम (प्रशिक्षक) हज़रात 9 ज़िलहिज्जा की रात को ही अरफात ले जाते हैं, इन्हीं के साथ चले जायें, कोई दम वग़ैरह वाजिब नहीं होगा।

— मिना आये बग़ैर सीधे अरफात को चले जाना सुन्नत के खिलाफ़ है।

— 9 ज़िलहिज्जा की फ़ज्र से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की अस्र तक तकबीरे तशरीक़ हर शख़्स को हर फर्ज़ नमाज़ के बाद पढ़ना चाहिए, चाहे हज अदा कर रहा हो या नहीं। तकबीरे तशरीक़ यह है: (अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु, वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द)

अरफात में ठहरना: हज़रत आइशा (रज़ि॰) फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमायाः

अरफा के दिन के अलावा कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह तआला बहुत ज़्यादा बंदों को जहन्नम से निजात देते हों, उस दिन अल्लाह तआला (अपने बन्दों से) बहुत ज़्यादा क़रीब होते हैं और फरिश्तों के सामने उन (हाजियों) की वजह से फख्र करते हैं और फ़रिश्तों से पूछते हैं (ज़रा बताओ तो) यह लोग मुझ से क्या चाहते हैं। (मुस्लिम)

हज़रत तलहा (रज़ि॰) से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमायाः गजवए बदर का दिन तो अलग है इसको छोड़ कर कोई दिन अरफा के दिन के अलावा ऐसा नहीं जिसमें शैतान बहुत ज़लील हो रहा हो, बहुत हक़ीर हो रहा हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में फिर रहा हो, यह सब कुछ इस वजह से कि अरफा के दिन में अल्लाह तआला की रहमतों का ज़्यादती के साथ नाज़िल होना और बन्दों के बड़े बड़े गुनाहों का माफ़ होना देखता है। (मिशकात)

(1) वुक़ूफ़े अरफा (अरफा में ठहरने) का वक़्त सूरज के ज़वाल के बाद से शुरू होता है, लिहाज़ा ज़वाल से पहले ही खाने वगैरह से फ़ारिग़ हो जायें, गुस्ल भी करना चाहें तो कर लें, लेकिन खुशबूदार साबुन का इस्तेमाल ना करें।

(2) मैदाने अरफात के शुरू में मस्जिदे नमरह नामी एक बहुत बड़ी मस्जिद है जिसमें ज़वाल के फौरन बाद ख़ुतबा होता है, फिर एक अज़ान और दो इक़ामत से ज़ुहर और अस्र की नमाज़ें जमाअत से अदा होती हैं। अगर आप के लिए मस्जिदे नमरह पहुंचना आसान हो तो वहीं जाकर खुतबा सुनें और दोनों नमाज़ें दो दो रकात इमाम के साथ पढ़ें। दोनों नमाज़ों के दरमियान में सुन्नतें ना पढ़ें। लेकिन अगर आप मस्जिदे नमरह ना पहुंच सकें तो अहादीस की रौशनी में हज़रत इमाम अबू हनीफा (रह०) और हनफी उलमा ने लिखा है कि ज़ुहर की नमाज़ ज़ुहर के वक़्त में और अस्र की नमाज़ अस्र के वक़्त में अपने अपने ख़ेमों में ही जमाअत के साथ पढ़ें (मुसाफिर हों तो दो दो रकात वर्ना चार चार रकात)

(3) याद रहे कि ज़वाल से लेकर सूरज डूबने तक का वक़्त बहुत ही ख़ास और अहम वक़्त है, इसमें हज का सबसे अज़ीम रुक्न अदा होता है (जिसके छूट जाने पर हज अदा नहीं होता) लिहाज़ा इसका एक लम्हा भी ना गंवाएं, गर्मी हो या सर्दी सब बर्दाश्त करें और बग़ैर किसी सख़्त ज़रूरत के इस वक़्त में ना लेटें और ना सोयें।

(5) मैदाने अरफात चूंकि ख़ूब ज़्यादा दुआएं मांगने, रोने, गिड़गिड़ाने और दुआ के क़बूल होने का मैदान है, लिहाज़ा ख़ूब रो-रोकर अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने अज़ीज व अक़ारिब के लिए, अपने दोस्त व अहबाब के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए हाथ उठाकर दुआएं मांगें। ज़िक्र और क़ुरान की तिलावत भी करते रहें, थोड़ी थोड़ी देर के बाद तलबिया भी पढ़ते रहें, इन कलिमात को भी पढ़ते रहें:

लाइलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर।

इन्हीं कलमात को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात की बेहतरीन दुआ क़रार दिया है।

वज़ाहत:

— अरफात के मैदान में किसी भी जगह काबे की तरफ़ मुंह करके खड़े होकर दुआएं मांगना ज़्यादा अफ़जल है, हाँ अगर थक जायें तो बैठ कर भी दुआओं और ज़िक्र व तिलावत में अपने आपको मशग़ूल रखें।

— अगर जबले रहमत तक पहुंचना आसान हो तो इसके नीचे क़िबला रुख खड़े होकर ख़ूब आंसू बहाकर अल्लाह तआला से अपने गुनाहों की मग़फिरत चाहें और दुनिया व

आखिरत की ज़रूरतें मांगें और दीने इस्लाम की सर बुलन्दी के लिए दुआएं करें, वर्ना अपने ख़ेमों ही में रहकर ज़िक्र व तिलावत और दुआओं में मशग़ूल रहें।

अरफात से मुज़्दलिफा रवानगी: जब सूरज डूब जाये तो मग़रिब की नमाज़ अदा किये बग़ैर ख़ूब इत्मिनान और सुकून के साथ तलबिया (लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक) पढ़ते हुए अरफात से मुज़्दलिफा के लिए रवाना हो जायें।

वज़ाहत:

– अगर सूरज डूबने से पहले अरफात की हुदूद (सीमाओं) से निकल गये तो दम वाज़िब होगा, लेकिन अगर सूरज डूबने से पहले दोबारा वापस अरफात में आ गये तो दम वाज़िब नहीं होगा।

– अरफात से रवानगी में अगर देर हो जाये तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन मग़रिब और इशा की नमाज़ मुज़्दलिफा पहुंच कर (इशा के वक़्त में) ही अदा करें।

– जब आप अरफात से मुज़्दलिफा रवाना हों तो इस बात का ख़ास ख़्याल रखें कि अरफात की हुदूद से निकलते ही मुज़्दलिफा शुरू नहीं होता है, बल्कि तक़रीबन 6 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद ही मुज़्दलिफा की हुदूद शुरू

होती हैं। हुदूद की पहचान के लिए अलग अलग रंग के बोर्ड लगाये गये हैं कि कहां पर हुदूद शुरू और कहां पर ख़त्म होती हैं, लिहाज़ा उनको ध्यान में रखते हुए ठहरें।

मुज़्दलफ़ा पहुंच कर यह काम करें:

(1) इशा के वक़्त में मग़रिब और इशा की नमाज़ें मिलाकर एक साथ अदा करें, तरीक़ा यह है कि जब इशा का वक़्त हो जाये तो पहले अज़ान और इक़ामत के साथ मग़रिब के तीन फ़र्ज पढ़ें, मग़रिब की सुन्नतें ना पढ़ें बल्कि फौरन इशा के फर्ज़ अदा करें मुसाफिर हों तो दो रकात और मुक़ीम (यानी वहीं के रहने वाले) हों तो चार रकात फर्ज़ अदा करें। इशा की नमाज़ के बाद सुन्नतें पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, मगर मग़रिब और इशा के फ़र्जों के बीच में सुन्नत या नफ़्ल ना पढ़ें।

वज़ाहत: मग़रिब और इशा को इकट्ठा पढ़ने के लिए जमाअत शर्त नहीं, चाहे जमाअत से पढ़ें या तनहा दोनों को इशा के वक़्त में ही अदा करें।

(2) इसके बाद अल्लाह तआला का ख़ूब ज़िक्र करें, तलबिया पढ़ें, तिलावत करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, तौबा व इस्तिग़फार करें और ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगें, क्योंकि

यह रात बहुत ही मुबारक रात है, अल्लाह तआला फ़रमाता है: जब तुम अरफात से वापिस होकर मुज़्दलिफा आओ तो यहां मश्अरे हराम के पास अल्लाह के ज़िक्र में मशग़ूल रहो (सूरह बकरह 198) अलबत्ता रात में कुछ सो भी ज़रूर लें, क्योंकि हदीस से साबित है।

(3) सुबह सवेरे फ़ज्र की सुन्नत और फर्ज़ अदा करें, फ़ज्र की नमाज़ के बाद काबे की तरफ़ मुंह करके खड़े होकर दोनों हाथ उठायें और रो-रोकर दुआएं मांगें। यही मुज़्दलिफा का वुक़ूफ (ठहरना) है जो वाजिब है।

वज़ाहत:

— मुज़्दलिफा में रात गुज़ार कर सुबह की नमाज़ पढ़ना और उसके बाद वहां पर ठहरना वाजिब है। मगर औरतें बीमार और कमज़ोर लोग आधी रात मुज़्दलिफा में गुज़ारने के बाद मिना जा सकते हैं, उन पर दम वाजिब नहीं होगा।

— मुज़्दलिफा के मैदान में जहां चाहें ठहर सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया: मैंने मश्अरे हराम के क़रीब वुक़ूफ़ (ठहरना) किया है (जहाँ आजकल मस्जिद है) जबकि मुज़्दलिफा सारे का सारा वुक़ूफ़ (ठहरने) की जगह है।

— अगर कोई शख़्स मुज़्दलिफा में सुबह सादिक़ के क़रीब पहुंचा और नमाज़े फ़ज्र मुज़्दलिफा में अदा कर ली तो उसका ठहरना सही हो गया, उस पर कोई दम वग़ैरह ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन जानबूझकर इतनी देर से मुज़्दलिफा पहुंचना मकरूह है।

— अगर कोई शख़्स किसी मज़बूरी के बग़ैर फ़ज्र की नमाज़ से पहले मुज़्दलफ़ा से मिना चला जाये तो उस पर दम वाजिब होगा।

हज का तीसरा दिन: 10 ज़िलहिज्जा

मुज़्दलिफा में ठहरना: मुज़्दलिफा में आज के दिन फ़ज्र की नमाज़ अदा करके ठहरें, यानी खड़े होकर ख़ूब दुआएं मांगें।

मुज़्दलिफा से मिना रवानगी: जब सूरज निकलने का वक़्त क़रीब आ जाये तो तलबिया (लब्बैक) पढ़ते हुए मिना रवाना हो जायें, मुज़्दलिफा से मिना तक़रीबन तीन या चार किलोमीटर है, सुबह के वक़्त यह रास्ता पैदल भी आसानी से तय किया जा सकता है। जब वादिए मुहस्सर पर पहुंचें तो यहाँ तेज़ चल कर निकल जायें। (मुज़्दलिफा और मिना के दरमियान यह वह जगह है जहाँ मक्का मुकर्रमा पर हमला करने के इरादे से आने वाले अबरहा बादशाह के लश्कर पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ था)।

कंकरियाँ चुनना: मुज़्दलिफा से मिना रवानगी के वक़्त बड़े चने के बराबर कंकरियाँ चुन लें, लेकिन तमाम कंकरियों का मुज़्दलिफा ही से उठाना ज़रूरी नहीं, बल्कि मिना से भी उठा सकते हैं।
13 ज़िलहिज्जा को भी कंकरियाँ मारने की सूरत में 70 कंकरियाँ वरना 49 कंकरियाँ इस्तेमाल में आयेंगी।

मिना पहुंचकर यह काम करें: मिना पहुंचने के बाद आज के दिन हाजियों को बहुत सारे काम करने होते हैं जिन्हें तरतीब से लिखा जा रहा है, आराम के साथ पूरे ध्यान से इन्हें अंजाम दें:

(1) कंकरियाँ मारना।

(2) क़ुर्बानी करना।

(3) बाल मुंडवाना या कटवाना।

(4) तवाफ़े ज़ियारत और हज की सई करना।

कंकरियाँ मारना: मिना पहुंचकर सबसे पहले बड़े और आखिरी जमरे को सात कंकरियाँ मारें, कंकरियाँ मारने का तरीक़ा यह है कि जमरा से थोड़े फासले पर खड़े होकर दाहिने हाथ से सात बार सात कंकरियाँ मारें, हर बार बिस्मिल्लाहि, अल्लाहु अकबर कहें।

वज़ाहत:

— एक बार में सातों कंकरियाँ मारने पर एक ही शुमार होगी, लिहाज़ा छः कंकरियाँ और मारें वरना दम लाज़िम होगा।

– कंकरी का जमरा पर लगना ज़रूरी नहीं, बल्कि हौज़ में गिर जाये तब भी काफ़ी है, क्योंकि असल हौज़ में ही गिरना है।

– तलबिया जो अब तक बराबर पढ़ रहे थे बड़े जमरा को पहली कंकरी मारने के साथ ही बंद कर दें।

– कंकरियाँ चने के बराबर या उससे कुछ बड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी कंकरियाँ मारने से परहेज़ करें।

– पहले दिन सिर्फ़ बड़े जमरा (जो मक्का की तरफ़ है) को कंकरियाँ मारें।

– कंकरियाँ मारते वक़्त अगर मक्का मुकर्रमा आपके बायीं तरफ़ और मिना दायीं तरफ़ हो तो ज़्यादा बेहतर है।

रमी (कंकरियाँ मारने) का वक़्त: आज 10 ज़िलहिज्जा को कंकरी मारने का मसनून वक़्त सूरज निकलने से ज़वाल तक है और मग़रिब तक बग़ैर कराहत के कंकरियाँ मारी जा सकती हैं और सूरज डूबने से सुबहे सादिक़ तक (कराहत के साथ) भी कंकरियाँ मारी जा सकती हैं, मगर औरतों और कमज़ोर लोगों को रात में भी कंकरियाँ मारना मकरूह नहीं।

वज़ाहत: औरतें और कमज़ोर लोग ऐसे वक़्त जब भीड़ हो कंकरियाँ ना मारें, बल्कि ज़वाल के बाद भीड़ कम होने पर

या रात को कंकरियाँ मारें, क्योंकि अपनी जान को खतरे में डालना मुनासिब नहीं, इसी के साथ अल्लाह की दी हुई सहूलत और रुख़्सत पर भी खुश दिली से अमल करना चाहिए।

तम्बीह: आजकल कुछ औरतें ख़ुद जाकर कंकरियाँ नहीं मारतीं, बल्कि उनके महरम उनकी तरफ़ से भी कंकरियाँ मार देते हैं। याद रखें कि बग़ैर शरई मजबूरी के किसी दूसरे से रमी कराना जाएज़ नहीं है, इससे दम वाजिब होगा। हाँ वह लोग जो जमरात तक पैदल चलकर जाने की ताक़त नहीं रखते या बहुत मरीज़ या कमज़ोर हैं तो ऐसे लोगों की तरफ़ से कंकरियाँ मारी जा सकती हैं।

दूसरे की तरफ़ से रमी (कंकरियाँ मारना): दसवीं तारीख़ को दूसरे की तरफ़ से (रमी) कंकरियाँ मारने का तरीक़ा यह है कि पहले अपनी तरफ़ से अपनी सात कंकरियाँ मारें, फिर दूसरे की तरफ़ से सात कंकरियाँ मारें।

क़ुर्बानी: अब आप को हज के शुक्रिये की क़ुर्बानी करनी है जो आज ही यानी 10 ज़िलहिज्जा को करना ज़रूरी नहीं बल्कि 12 ज़िलहिज्जा के सूरज डूबने तक जिस वक़्त चाहें कर सकते हैं।

वज़ाहत:

— हज की क़ुर्बानी के अहकाम ईदुल अज़हा की क़ुर्बानी की तरह हैं, जो जानवर वहाँ जाएज़ है यहाँ भी जाएज़ है और जिस तरह वहाँ ऊंट व गाये में सात आदमी शरीक हो सकते हैं हज की क़ुर्बानी में भी शरीक हो सकते हैं।

— क़ुर्बानगाह ही ेंम क़ुर्बानी करना ज़रूरी नहीं है,बल्कि मिना या मक्का मुकर्रमा ेंम किसी भी जगह क़ुर्बानी कर सकते हैं, अलबत्ता हरम के हुदूद के अन्दर करें। याद रखें कि जद्दह हरम के हुदूद से बाहर है, लिहाज़ा जद्दह में की जाने वाली क़ुर्बानी नहीं मानी जाएगी।

— हज्जे तमत्तो और हज्जे क़िरान में हज के शुक्रिये की क़ुर्बानी करना वाजिब है, हज्जे इफ़राद में मुस्तहब है।

— हज की क़ुर्बानी से गोश्त खाना मसनून है, चाहे थोड़ा ही सही।

— हाजियों के लिए ईदुल अजहा की नमाज़ नहीं है।

मसअला: जो हज़रात इस वक़्त मुसाफिर हैं, यानी पन्द्रह दिन से कम मुद्दत मक्का मुकर्रमा में रहकर मिना के लिए रवाना हो गये हैं तो उन पर बकरईद की क़ुर्बानी वाजिब नहीं और जो हज़रात इस वक़्त मुक़ीम हैं, यानी मक्का में पन्द्रह या उससे ज़्यादा दिन रहकर मिना के लिए रवाना

हुए हैं और साहिबे निसाब भी हैं उन पर ईदुल अज़हा की क़ुर्बानी भी वाजिब है। हाँ वह यह क़ुर्बानी मिना में भी कर सकते हैं और अपने वतन में भी। यह क़ुर्बानी हज वाली क़ुर्बानी से अलग है।

हज के शुक्रिये की क़ुर्बानी का बदल (विकल्प) अगर किसी वजह से क़ुर्बानी नहीं कर सकते तो ुक्ल दस रोज़े रखें, तीन रोज़े मक्का ही में 10 ज़िलहिज्जा से पहले पहले और सात रोज़े घर वापस आकर रखें।

बाल मुंडवाना या कटवाना: क़ुर्बानी से फ़ारिग़ होकर तमाम सर के बाल मुंडवा दें या कटवा दें, हाँ बाल मुंडवाना अफ़जल है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्क़ कराने वालों यानी बाल मुंडवाने वालों के लिए रहमत और मग़फिरत की दुआ तीन बार फरमायी है और बाल छोटे कराने वालों के लिए सिर्फ़ एक बार। औरेंत अपनी चोटी का सिरा पकड़कर एक पोरे के बराबर ख़ुद बाल काट लें या किसी महरम से कटवा लें।

वज़ाहत:

– सर के बाल कटवाना मिना ही में ज़रूरी नहीं, बल्कि हरम के हुदूद के अन्दर किसी भी जगह कटवा सकते हैं।

— जब बाल कटवाने का वक़्त आ जाये, यानी क़ुर्बानी वगैरह से फ़ारिग हो जायें तो एहराम की हालत में एक दूसरे के बाल काटना जाएज़ है।
— क़ुर्बानी की तरह बाल कटवाने या मुंडवाने को 12 ज़िलहिज्जा के सूरज डूबने तक टाल सकते हैं।
— क़ुर्बानी और बाल मुंडवाने से पहले ना एहराम खोलें और ना ही नाख़ुन वगैरह काटें, वरना दम लाज़िम हो जायेगा।

अहम हिदायत: बड़े जमरा को कंकरियाँ मारना, क़ुर्बानी करना, फिर सर के बाल मुंडवाना या कटवाना यह तीनों काम वाजिब हैं और जिस तरतीब से इनको लिखा गया है इसी तरतीब से अदा करना इमाम अबू हनीफ़ा (रह०) की राये के मुताबिक वाजिब हैं, लेकिन इमाम अबू हनीफा (रह०) के दोनों मशहूर शागिर्द और ज़्यादातर फुक़हा इसे मसनून कहते हैं जिसकी खिलाफ़वर्जी से दम वाजिब नहीं होता, लिहाज़ा हाजियों को चाहिए कि जहाँ तक मुमकिन हो तरतीब को ध्यान में रखें, हाँ भीड़, मौसम की सख़्ती और क़ुर्बानगाह की दूरी वगैरह की वजह से अगर यह तीनों मनासिक तरतीब के खिलाफ़ अदा हों तो दम वाज़िब नहीं होगा। (हज व उमरह - काज़ी मुजाहिदुल इस्लाम साहब)

गरज़ ये कि रमी और क़ुर्बानी में मजबूरी की वजह से तरतीब क़ायम ना होने पर इन्शाअल्लाह दम वाज़िब नहीं होगा, लेकिन बाल उसी वक़्त मुंडवायें या कटवायें जब दोनों अमल (रमी और क़ुर्बानी) से फ़ारिग हो गये हों।

तम्बीह: रमी (कंकरियाँ मारने), क़ुर्बानी और बाल मुंडवाने या कटवाने के बाद अब आपके लिए एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म हो गयीं, गुस्ल करके कपड़े पहन लें, ख़ुशबू भी लगा लें, अलबत्ता मियां बीवी वाले ख़ास तअल्लुक़ात तवाफ़े ज़ियारत करने के बाद ही हलाल होंगे।

तवाफ़े ज़ियारत और हज की सई

तवाफ़े ज़ियारत (हज का तवाफ़) 10 ज़िलहिज्जा से 12 ज़िलहिज्जा के सूरज डूबने तक दिन रात में किसी भी वक़्त ऊपर ज़िक्र किये गये तीनों आमाल से फरागत के बाद करना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इन तीनों आमाल या इनमें से कुछ आमाल से पहले भी कर लिया जाये तो कोई हर्ज नहीं। ऊपर ज़िक्र किये गये तीनों आमाल (कंकरियाँ मारना, क़ुर्बानी करना, सर के बाल कटवाना) से फराग़त के बाद तवाफ़े ज़ियारत आम लिबास में होगा, वर्ना एहराम की हालत में। उमरह के तवाफ़ का तरीक़ा तफ़सील से लिखा जा चुका है, इसी के मुताबिक़ तवाफ़े ज़ियारत (हज का तवाफ़) करें, दो रकात नमाज़ पढ़ें, अगर हो सके तो ज़मज़म का पानी पीकर दुआ मांगें, फिर हज्रे असवद का इस्तलाम करके या सिर्फ़ उसकी तरफ़ इशारा करके सफ़ा पर जायें और पहले बताये गये तरीके के मुताबिक़ हज की सई करें। हर बार सफा मरवह पर काबा की तरफ़ रुख करके हाथ उठाकर दुआएं मांगें, ख़ास तौर पर पहली बार सफ़ा पर ख़ूब दिल लगाकर दुआएं करें।

वज़ाहत:

– जब आप तवाफ़े ज़ियारत करने के लिए मक्का मुकर्रमा जायें तो तवाफ़े ज़ियारत करने से पहले या बाद में मक्का मुकर्रमा ेंम अपनी क़यामगाह में जाना चाहें (कोई चीज़ रखनी हो या लेनी हो) तो जाने में कोई हर्ज नहीं, हाँ रात मिना ही में गुजारें।

– अगर तवाफे ज़ियारत 12 ज़िलहिज्जा के सूरज डूबने के बाद करेंगे तो तवाफ़ अदा हो जायेगा, लेकिन दम वाजिब होगा।

– अगर किसी औरत को इन अय्याम में (यानी 10 ज़िलहिज्जा से 12 ज़िलहिज्जा तक) माहवारी आती रही तो वह पाक होकर ही तवाफ़े ज़ियारत करेगी, इस पर कोई दम लाज़िम नहीं होगा।

– तवाफ़े ज़ियारत किसी भी हाल में माफ़ नहीं होता और ना ही इसका कोई दूसरा बदल (विकल्प) है, इसी के साथ जब तक इसको अदा ना किया जायेगा, मियाँ बीवी वाले ख़ास तअल्लुक़ात हराम ही रहेंगे।

– हज की सई का मसनून वक़्त 12 ज़िलहिज्जा के सूरज डूबने तक है, मगर इसके बाद भी कराहियत के साथ अदा कर सकते हैं, इस देरी पर कोई दम लाज़िम नहीं होगा।

— अगर हज की सई किसी नफ़्ली तवाफ़ के साथ मिना आने से पहले ही कर चुके हैं तो अब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं।

मिना को वापसी:

तवाफ़े ज़ियारत और हज की सई से फारिग होकर मिना वापस आ जायें। 11 और 12 ज़िलहिज्जा की रातें मिना ही में गुज़ारें, मिना के अलावा किसी दूसरी जगह रात का ज़्यादा हिस्सा गुज़ारना मकरूह है। अगर आप को मिना के बजाये मुज़्दलफ़ा में ख़ेमा मिला है तो मिना के क़याम के दिनों में मुज़्दलफ़ा ही में अपने खेमों में क़याम कर सकते हैं, इस पर कोई दम वाजिब नहीं होगा।

वक़्त का सही इस्तेमाल:

मिना के क़याम को एक अच्छा मौक़ा समझकर फ़ुज़ूल बातों में समय न खोयें, बल्कि नमाज़ों की अदाएगी के साथ ज़िक्र, क़ुरान की तिलावत, दुआ, इस्तिग़फ़ार और दूसरे नेक कामों में खुद भी मशग़ूल रहें और दूसरों के पास भी जा जाकर उनको अल्लाह की तरफ बुलायें और उन्हें आखिरत की फिक्र दिलायें, इसी के साथ रातों को अल्लाह के सामने उम्मत के लिए गिड़गिड़ायें और रोयें कि आज

उम्मते मुस्लिमा का बड़ा तबक़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़कर गैरों के तरीक़े पर ज़िन्दगी गुजारने में अपनी कामयाबी समझ रहा है, यहां तक कि ईमान के बाद सबसे पहला और अहम हुक्म (नमाज़) इसकी पाबंदी करने के लिए तैयार नहीं है। यही वह मैदान है जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैग़ाम को लेकर लोगों मे फिरा करते थे और उनको दीने इस्लाम की दावत देते थे, लिहाज़ा इन घड़ियों को बस यूं ही ना गुज़ार दें, बल्कि ख़ुद भी अच्छे आमाल करें और दूसरों को भी दावत देते रहें।

हज का चौथा और पांचवां दिन

11 और 12 ज़िलहिज्जा

कंकरियाँ मारना: दोनों दिन मिना में ठहरकर तीनों जमरात को कंकरियाँ मारना वाजिब है।

कंकरियाँ मारने का वक़्त: दोनों दिन तीनों जमरात को कंकरियाँ मारने का वक़्त ज़वाल से सूरज डूबने तक है, रात में कराहियत के साथ कंकरियाँ मारी जा सकती हैं, लेकिन औरतें और माज़ूर लोग रात में भी बग़ैर कराहियत के कंकरियाँ मार सकते हैं।

वज़ाहत: इन दोनों दिनों में ज़वाल से पहले कंकरियाँ मारना जाएज़ नहीं है। ज़वाल से पहले मारने की सूरत में दोबारा ज़वाल के बाद कंकरियाँ मारनी होंगी, वरना दम लाज़िम होगा।

कंकरी मारने का तरीक़ा: सबसे पहले छोटे जमरे (जो मस्जिदे ख़ैफ़ की तरफ़ है) पर सात कंकरियाँ सात बार बिस्मिल्लाहि, अल्लाहु अकबर कहकर मारें। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ कर दायें या बायें हो जायें और क़िबला रुख होकर हाथ उठाकर ख़ूब दुआऐ करें। इसके बाद बीच वाले जमरे

पर सात कंकरियाँ मारें और बायें या दायें होकर ख़ूब दुआएं करें। फिर आखिर में तीसरे और बड़े जमरे पर सात कंकरियाँ मारें और बग़ैर दुआ के अपने ख़ेमों में चले जायें।

– अगर क़ुर्बानी या बाल कटवाना या तवाफ़े ज़ियारत 10 ज़िलहिज्जा को नहीं कर सके तो 12 ज़िलहिज्जा के सूरज डूबने तक ज़रूर कर लें।

मिना से रवानगी: 12 ज़िलहिज्जा को तीनों जमरात पर कंकरियाँ मारने के बाद आप मिना से जा सकते हैं, लेकिन सूरज डूबने से पहले मिना से रवाना हो जायें।

वज़ाहत:

– अगर बारहवीं को मिना से जाने का इरादा है तो सूरज डूबने से पहले मिना से रवाना हो जायें। सूरज डूबने के बाद तेरहवीं की कंकरियाँ मारे बग़ैर जाना मकरूह है, गोकि तेरहवीं की कंकरियाँ मारना हज़रत इमाम अबू हनीफा (रह०) की राये के मुताबिक़ वाजिब नहीं है, लेकिन अगर तेरहवीं की सुबहे सादिक़ मिना में हो गयी तो तेरहवीं की रमी (कंकरियाँ मारना) ज़रूरी हो जायेगी, अब अगर कंकरियाँ मारे बग़ैर जायेंगे तो दम लाज़िम होगा। दूसरे उलमा की राय के मुताबिक़ अगर 12 ज़िलहिज्जा को मिना

में सूरज डूब गया तो 13 ज़िलहिज्जा की कंकरियाँ मारना वाजिब होगा।

– अगर कोई शख़्स 12 ज़िलहिज्जा को मक्का मुकर्रमा जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, मगर भीड़ की वजह से कुछ देर हो गयी और सूरज डूब गया तो वह बग़ैर किसी कराहियत के मिना से जा सकता है, उसके लिए 13 ज़िलहिज्जा को कंकरियाँ मारना ज़रूरी नहीं है।

हज का छठा दिन
13 ज़िलहिज्जा

अगर आप 12 ज़िलहिज्जा को कंकरियाँ मारने के बाद मिना से चले गये तो आज के दिन मिना में क़याम करना और कंकरियाँ मारना ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर आप 13 ज़िलहिज्जा को कंकरियाँ मारकर ही वापस होना चाहते हैं जैसा कि बेहतर है तो 12 ज़िलहिज्जा के बाद आने वाली रात को मिना में और 13 ज़िलहिज्जा को तीनों जमरात (शैतान) पर ज़वाल के बाद 11 और 12 ज़िलहिज्जा की तरह सात सात कंकरियाँ मारें और फिर चले जायें।

वज़ाहत: तेरहवीं ज़िलहिज्जा को ज़वाल से पहले भी कंकरियाँ मारी जा सकती हैं, मगर बेहतर यही है कि तेरहवीं ज़िलहिज्जा को भी ज़वाल के बाद कंकरियाँ मारें। तेरहवीं ज़िलहिज्जा को सिर्फ़ सूरज के डूबने तक कंकरियाँ मार सकते हैं।

दूसरे की तरफ़ से कंकरियाँ मारना

ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं को दूसरे की तरफ़ से कंकरियाँ मारने का तरीक़ा यह है कि पहले हर एक जमरा पर अपनी सात कंकरियाँ मारें, फिर दूसरे की तरफ़ से सात कंकरियाँ मार दें।

हज पूरा हो गया: अलहम्दु लिल्लाह आपका हज पूरा हो गया। मिना से वापसी के बाद जितने दिन मक्का में क़याम हो उसको एक अच्छा मौक़ा समझें, बाज़ारों में घूमने के बजाये जितना हो सके नफ़्ली तवाफ़ करते रहें, नफ़्ली उमरे करें, पांचों वक़्त की नमाज़ मस्जिदे हराम में पढ़ें, क्योंकि मस्जिदे हराम की एक नमाज़ का सवाब एक लाख नमाज़ के बराबर है (यानी मस्जिदे हराम की एक नमाज़ पचपन साल छः माह बीस दिन की नमाज़ों के बराबर है)। इसी के साथ दुआ व ज़िक्र, तिलावते कुरान और दीगर नेक कामों में ख़ूब वक़्त लगायें, क्योंकि मालूम नहीं कि आइन्दा फिर ऐसा मौक़ा मिले या नहीं।

तवाफ़े विदा

जब मक्का मुकर्रमा से रुख़्सत होने का इरादा हो तो रुख़्सती व आखिरी तवाफ़ करें। तवाफ़ का तरीक़ा वही है जो पहले ज़िक्र किया गया। वापसी पर ख़ूब रो-रोकर दुआएं मांगें, ख़ासकर इस पाक सरज़मीन पर बार बार आने, गुनाहों की मग़फ़िरत, दोनों जहाँ की कामयाबी और हज के मक़बूल व मबरूर होने की दुआएं करें।

वज़ाहत:

– तवाफ़े विदा सिर्फ़ मीक़ात से बाहर रहने वालों पर वाजिब है जिस के छोड़ने पर दम लाज़िम होगा।

– अगर तवाफ़े ज़ियारत के बाद किसी ने कोई नफ़्ली तवाफ़ किया और विदा का तवाफ़ किये बग़ैर ही वह मक्का से रवाना हो गया तो यह नफ़्ली तवाफ़ तवाफ़े विदा की जगह ले लेगा, लेकिन बेहतर यह है कि रवानगी के दिन रुखसत की नियत से यह आखिरी तवाफ़ किया जाये।

– तवाफ़े विदा के बाद अगर कुछ वक़्त मक्का मुकर्रमा में रुकना पड़ जाये तो दोबारा तवाफ़े विदा करना वाजिब नहीं होगा।

— मक्का मुकर्रमा से रवानगी के वक़्त अगर किसी औरत को माहवारी आने लगे तो तवाफ़े विदा इस पर वाजिब नहीं।

— जो हज़रात सिर्फ़ उमरह करने के लिए आते ैंह उनके लिए तवाफ़े विदा नहीं है।

— तवाफे क़ुदूम या तवाफ़े ज़ियारत या तवाफ़े विदा के लिए इस तरह ख़ास तौर पर नियत करना शर्त नहीं कि फलां तवाफ़ करता हूँ, बल्कि हर तवाफ़ के वक़्त में सिर्फ़ तवाफ़ की नियत भी काफ़ी होगी।

— अगर आप हज से पहले ही मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं तो मदीना मुनव्वरा जाने के लिए तवाफ़े विदा ज़रूरी नहीं है।

हज्जे क़िरान का बयान

हज के महीनों में किसी भी वक़्त मीक़ात पर या मीक़ात से पहले ग़ुस्ल वगैरह से फारिग़ होकर एहराम के कपड़े पहन लें (यानी मर्द हज़रात सफ़ेद तहबंद बांध लें और सफेद चादर ओढ़ लें, औरतें आम लिबास ही पहन लें, बस चेहरे से नक़ाब हटा लें) और दो रकात नमाज़ पढ़ लें, फिर हज व उमरह दोनों को एक ही एहराम से अदा करने की नियत कर लें और तीन बार तलबिया (लब्बैक) पेंढ़ तलबिया पढ़ने के साथ ही आप के लिए कुछ चीज़ें हराम हो गयीं जो पेज 38 पर ज़िक्र की जा चुकी हैं। मस्जिदे हराम पहुंचने तक तलबिया कहते रहें।

मक्का मुकर्रमा पहुंच कर सामान वग़ैरह अपनी रिहाइशगाह पर रखकर अगर आराम की ज़रूरत हो तो थोड़ा आराम कर लें, वर्ना ग़ुस्ल या वुज़ू करके मस्जिदे हराम की तरफ़ तलबिया पढ़ते हुए रवाना हो जायें। मस्जिदे हराम पहुंचकर मस्जिद में दाखिल होने वाली दुआ पढ़ते हुए दायाँ क़दम रखकर मस्जिद में दाखिल हो जायें। काबा पर पहली निगाह पड़ने पर अल्लाह तआला की बड़ाई बयान करके कोई भी दुआ मांगें।

मस्जिदे हराम में दाखिल होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ (सात चक्कर) करें। तवाफ़ से फारिग होकर मक़ामे इब्राहीम के पास या मस्जिदे हराम में किसी भी जगह तवाफ़ की दो रकात अदा करें, फिर काबे की तरफ मुंह करके बिस्मिल्लाह पढ़कर तीन सांस में ख़ूब सैर होकर ज़मज़म का पानी पीयें।

तवाफ़ से फराग़त के बाद सफ़ा की तरफ़ चले जायें। सफ़ा पहाड़ी पर थोड़ा सा चढ़ कर बैतुल्लाह की तरफ़ रुख करके हाथ उठाकर ख़ूब दुआएं करें, फिर सफ़ा मरवह की सई करें, सई की शुरूआत सफ़ा से होती है और ख़ात्मा मरवह पर। तवाफ़ और सई के दौरान चलते चलते आवाज़ बुलन्द किये बग़ैर दुआएं करते रहें। यह तवाफ़ और सई उमरह की है। तवाफ़ और सई यानी उमरह से फ़रागत के बाद एहराम ही की हालत में रहें, ना बाल कटवायें और ना ही एहराम खोलें। इसके बाद एहराम ही की हालत ेंम अगर तवाफ़े क़ुदूम (सुन्नत) करना चाहें तो कर लें।

तवाफ़े क़ुदूम के बाद अगर हज की सई भी करने का इरादा हो तो तवाफ़े क़ुदूम में इज़्तेबाअ व रम्ल करें। फिर तवाफे क़ुदूम से फारिग होकर हज की सई कर लें। अगर हज की सई मिना जाने से पहले कर लेंगे तो फिर तवाफ़े ज़ियारत

के साथ करने की ज़रूरत नहीं है। 8 ज़िलहिज्जा तक एहराम ही की हालत में रहें, ममनूआते एहराम (एहराम बांधने के बाद मना की गई चीज़ों) से बचते रहें, नफ़्ली तवाफ़ करते रहें, अलबत्ता उमरे ना करें।

8 ज़िलहिज्जा को एहराम ही की हालत में मिना चले जायें और 8 ज़िलहिज्जा को मिना में क़याम करें, फिर 9 ज़िलहिज्जा की सुबह अरफात रवाना हो जायें। अरफात में ज़ुहर व अस्र की नमाज़ें अदा फरमायें औऱ सूरज के डूबने तक दुआओं में मशग़ूल रहें, दुनियावी बातों में मशग़ूल ना हों, क्योंकि यही हज का सबसे अहम और बुनियादी रुक्न है। सूरज के डूब जाने के बाद मगरिब की नमाज़ अदा किये बग़ैर तलबिया पढ़ते हुए मुज़्दलिफा रवाना हो जायें, मुज़्दलिफा पहुंचकर इशा के वक़्त में मग़रिब और इशा की नमाज़ें अदा करें, रात मुज़्दलफ़ा में गुज़ार कर फ़ज्र की नमाज़ अदा करें और फिर क़िबला रुख खड़े होकर ख़ूब दुआएं करें, यही मुज़्दलिफा का वुकूफ़ (ठहरना) है जो वाजिब है। फिर मिना आकर सबसे पहले बड़े जमरे पर सात कंकरियाँ सात बार में मारें और क़ुर्बानी करें, फिर सर के बाल मुंडवायें या कटवा दें। सर के बाल कटवाकर एहराम

उतार दें और मक्का मुकर्रमा जाकर तवाफ़े ज़ियारत केंर और मिना वापस आ जायें।

11 और 12 ज़िलहिज्जा को मिना में क़याम करके ज़वाल के बाद तीनों जमरों पर सात सात कंकरियाँ मारें। 12 ज़िलहिज्जा को कंकरियाँ मारने के बाद मिना से जा सकते हैं, मगर सूरज के डूबने से पहले रवाना हो जायें, वरना 13 ज़िलहिज्जा को भी रमी करें। वापसी के वक़्त तवाफ़े विदा करें जो मीक़ात से बाहर रहने वालों पर वाजिब है।

हज्जे इफ़राद का बयान

हज के महीनों में (यानी शव्वाल की पहली तारीख़ से लेकर 9वीं ज़िलहिज्जा तक किसी वक़्त दिन या रात में) मीक़ात पर या मीक़ात से पहले गुस्ल वग़ैरह से फारिग होकर एहराम के कपड़े पहन लें (यानी मर्द हज़रात सफेद तहबंद बांध लें और सफेद चादर ओढ़, औरतें आम लिबास ही पहन लें, बस चेहरे से निक़ाब हटा लें) और दो रकात नमाज़ पढ़ लें (पहली रकात मे सूरह काफिरून और दूसरी रकात में सूरह इख़्लास पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है) , फिर सिर्फ़ हज की नियत करें और तीन बार तलबिया (लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक) पढ़ें। तलबिया पढ़ने के साथ ही आप के लिए कुछ चीज़ें हराम हो गयीं जो पेज 38 पर ज़िक्र की जा चुकी हैं। मस्जिदे हराम पहुंचने तक तलबिया कहते रहें।

मक्का मुकर्रमा पहुंच कर सामान वग़ैरह अपनी रिहाइशगाह पर रखकर अगर आराम की ज़रूरत हो तो थोड़ा आराम कर लें, वर्ना गुस्ल या वुज़ू करके मस्जिदे हराम की तरफ तलबिया पढ़ते हुए रवाना हो जायें। मस्जिदे हराम पहुंचकर मस्जिद में दाखिल होने वाली दुआ पढ़ते हुए दायाँ क़दम रखकर मस्जिदे हराम में दाखिल हो जायें। काबा पर पहली

निगाह पड़ने पर अल्लाह तआला की बड़ाई बयान करके कोई भी दुआ मांगें।
मस्जिदे हराम पहुँचकर तवाफ़े क़ुदूम करें जो सुन्नत है, फिर 8 ज़िलहिज्जा तक एहराम ही की हालत में रहें, एहराम की हालत में मना की हुई चीज़ों से बचते रहें, नफ़्ली तवाफ़ करते रहें, अलबत्ता उमरे ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा तलबिया पढ़ें।
8 ज़िलहिज्जा को मिना जाकर वहां रुकें, फिर 9 ज़िलहिज्जा की सुबह अरफात रवाना हो जायें, अरफात में ज़ुहर और अस्र की नमाज़ें अदा करें और सूरज डूबने तक दुआओं में मशग़ूल रहें, दुनियावी बातों में ना लगें, क्योंकि यही हज का सबसे अहम और बुनियादी रुक्न है। सूरज के डूबने के बाद मग़रिब की नमाज़ अदा किये बग़ैर तलबिया पढ़ते हुए मुज़्दलिफा रवाना हो जायें, मुज़्दलिफा पहुंचकर इशा के वक़्त में मग़रिब और इशा की नमाज़ें अदा करें, रात मुज़्दलिफा में गुज़ारकर फज्र की नमाज़ अदा करें और फिर क़िबला रुख खड़े होकर ख़ूब दुआएं करें, यही मुज़्दलिफा का वुकूफ़ (ठहरना) है जो वाजिब है। फिर मिना आकर सबसे पहले बड़े जमरे पर सात कंकरियाँ सात बार में मारें और क़ुर्बानी करना चाहें तो क़ुर्बानी करें, फिर सर के

बाल मुंडवायें या कटवा दें। सर के बाल कटवाकर एहराम उतार दें और मक्का मुकर्रमा जाकर तवाफ़े ज़ियारत केंर और मिना वापस आ जायें।
11 और 12 ज़िलहिज्जा को मिना में क़याम करके ज़वाल के बाद तीनों जमरों पर सात सात कंकरियाँ मारें। 12 ज़िलहिज्जा को कंकरियाँ मारने के बाद मिना से जा सकते हैं, मगर सूरज के डूबने से पहले रवाना हो जायें, वरना 13 ज़िलहिज्जा को भी कंकरियाँ मारें। वापसी के वक़्त तवाफ़े विदा करें जो मीक़ात से बाहर रहने वालों पर वाजिब है।

वज़ाहत:

— अगर हज की सई मिना जाने से पहले ही करना चाहते हैं तो तवाफ़े क़ुदूम में रम्ल और इज़्तेबाअ भी करें, उसके बाद हज की सई कर लें। किसी नफ़्ली तवाफ़ के बाद भी हज की सई मिना जाने से पहले कर सकते हैं, लेकिन हज्जे इफ़राद करने वाले के लिए हज की सई तवाफ़े ज़ियारत के बाद ही करना अफ़जल व बेहतर है।

— अगर हज्जे इफ़राद का इरादा हो तो हज के साथ उमरह की नियत ना करें, क्योंकि हज्जे इफ़राद में उमरह नहीं कर सकते, अलबत्ता हज से फारिग़ होकर नफ़्ली उमरे कर सकते हैं।

औरतों के ख़ास मसाइल

– औरत अगर ख़ुद मालदार है तो इस पर हज फ़र्ज़ है, वर्ना नहीं।

– औरत बग़ैर महरम या शौहर के हज का सफ़र या कोई दूसरा सफ़र नहीं कर सकती, अगर कोई औरत बग़ैर महरम या शौहर के हज कर ले तो उसका हज तो अदा हो जायेगा लेकिन ऐसा करने में बड़ा गुनाह है। महरम वह शख़्स है जिसके साथ उसका निकाह हराम है जैसे बाप, बेटा, भाई, हक़ीक़ी मामू और हक़ीक़ी चचा वग़ैरह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि॰) रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया: हरगिज़ कोई मर्द किसी (ना महरम) औरत के साथ तन्हाई में ना रहे और हरगिज़ कोई औरत सफ़र ना करे मगर यह कि उसके साथ महरम हो। यह सुनकर एक शख़्स ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह! मेरा नाम फलां जिहाद की शिरकत के सिलसिले में लिख लिया गया है और मेरी बीवी हज करने के लिए निकल चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ अपनी बीवी के साथ हज करो। (बुखारी व मुस्लिम)

– एहराम बांधने के वक़्त माहवारी आ रही हो तो एहराम बांधने का तरीक़ा यह है कि गुस्ल करें या सिर्फ़ ुज़ू करें नमाज़ ना पढ़ें, चेहरे से कपड़ा हटाकर नियत करें और तीन बार आहिस्ता से तलबिया पढ़ें।

– औरतें एहराम में आम सिले हुए कपड़े पहनें, उनके एहराम के लिए कोई ख़ास रंग नहीं है, बस ज़्यादा चमकीले कपड़े ना पहनें और वे कपड़ों को तब्दील भी कर सकती हैं।

– औरतें इस पूरे सफ़र के दौरान पर्दे में रहें। यह जो मशहूर है कि हज व उमरह में पर्दा नहीं है ग़लत है, हुक्म यह है कि औरत एहराम की हालत में चेहरे पर कपड़ा ना लगने दे, इससे यह कैसे लाज़िम आया कि वह ना महरमों के सामने चेहरा खोले। हज़रत आइशा (रज़ि॰) ने बयान फ़रमाया कि हम हालते एहराम में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, गुज़रने वाले जब अपनी सवारियों पर गुज़रते थे तो हम अपनी चादर को अपने सर से आगे बढ़ाकर चेहरे पर लटका लेते थे, जब वह आगे बढ़ जाते तो चेहरा खोल देते थे। (मिश्कात)

– औरतों का सर पर सफेद रूमाल बांधने को एहराम समझना ग़लत है, सिर्फ़ बालों को ूटने से बचाने के लिए सर पर रूमाल बांध लें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन माथे के

ऊपर सर पर बांधें और इसको एहराम का हिस्सा ना समझें, वुज़ू के वक़्त रूमाल खोल कर कम से कम चौथाई सर पर मसह करना फर्ज़ है और पूरे सर का मसह करना सुन्नत है, लिहाज़ा वुज़ू के वक़्त ख़ास तौर पर यह सफेद रूमाल सर से खोल कर सर पर ज़रूर मसह करें।

– अगर कोई औरत ऐसे वक़्त में मक्का मुकर्रमा पहुंची कि उसको माहवारी आ रही है तो वह पाक होने तक इन्तेज़ार करें, पाक होने के बाद ही मस्जिदे हराम जाये। अगर 8 ज़िलहिज्जा तक भी पाक ना हो सकी तो एहराम ही की हालत में तवाफ़ वगैरह किये बग़ैर मिना जाकर हज के सारे आमाल अदा करे।

– अगर किसी औरत ने हज्जे क़िरान या हज्जे तमत्तो का एहराम बांधा, मगर माहवारी की वजह से 8 ज़िलहिज्जा तक उमरह ना कर सकी और 8 ज़िलहिज्जा को एहराम ही की हालत में मिना जाकर हाजियों की तरह सारे आमाल अदा कर लिये तो हज सही हो जायेगा, लेकिन दम और उमरह की क़ज़ा वाजिब होने या ना होने के बारे में उलमा की अलग अलग रायें हैं। मगर एहतियात यही है कि हज से फारिग होकर उमरह की क़ज़ा कर ले और बतौर दम

एक क़ुर्बानी भी दे दे, अगरचे यह क़ुर्बानी ज़िन्दगी मे किसी भी वक़्त दी जा सकती है।

– माहवारी की हालत में सिर्फ़ तवाफ़ करने की इज़ाज़त नहीं है, बाक़ी सारे आमाल अदा किये जायेंगे जैसा कि हज़रत आइशा (रज़ि॰) से रिवायत है कि हम लोग (हुज्जतुल विदा वाले सफ़र में) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना से चले, हमारी ज़बानों पर बस हज ही का ज़िक्र था यहां तक कि जब (मक्का के क़रीब) मक़ाम सरफ पर पहुंचे तो मेरे वह दिन शुरू हो गये जो औरतों को हर महीने आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम (ख़ेमें में) तशरीफ लाये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मैं बैठी रो रही हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: शायद तुम्हारे माहवारी के दिन शुरू हो गये हैं। मैंने अर्ज़ किया: हाँ यही बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: (रोने की क्या बात है) यह तो ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ने आदम की बेटियों (यानी सब औरतों) के साथ लाज़िम कर दी है, तुम वह सारे आमाल करती रहो जो हाजियों को करने है सिवाये इसके कि ख़ाना काबा का

तवाफ़ उस वक़्त तक ना करो जब तक कि इससे पाक व साफ़ ना हो जाओ। (बुखारी व मुस्लिम)

— माहवारी की हालत में नमाज़ पढ़ना, क़ुरान को छूना या उसकी तिलावत करना, मस्जिद में दाखिल होना और तवाफ़ करना बिल्कुल नाजाएज़ है, अलबत्ता सफ़ा व मरवह की सई करना जाएज़ है।

— औरतें माहवारी की हालत में ज़िक्र व अज़कार जारी रख सकती हैं, बल्कि उनके लिए मुस्तहब है कि वह अपने आपको अल्लाह के ज़िक्र में मशग़ूल रखें और दुआएं भी करती रहें।

— अगर किसी औरत को तवाफ़ के दौरान हैज़ आ जाये तो फौरन तवाफ़ बंद कर दे और मस्जिद से बाहर चली जाये।

— औरतें तवाफ़ में रम्ल (अकड़कर चलना) ना करें, यह सिर्फ़ मर्दों के लिए ख़ास है।

— हुजूम होने की सूरत में औरतें हज्रे असवद का बोसा लेने की कोशिश ना करें, बस दूर से इशारा कर दें। इसी तरह हुजूम होने की सूरत में रुक्ने यमानी को भी ना छुएं।

— हदीस में है कि हज़रत आइशा (रज़ि॰) लोगों से बच बच कर तवाफ़ कर रही थीं कि एक औरत ने कहा कि चलिये उम्मुल मोमनीन बोसा ले लें तो हज़रत आइशा (रज़ि॰) ने

इन्कार फरमां दिया। एक दूसरी हदीस में है कि एक ख़ातून हज़रत आइशा (रज़ि॰) के हमराह तवाफ़ कर रही थीं, हज्रे असवद के पास पहुंच कर कहने लगीं अम्मां आइशा (रज़ि॰) क्या आप बोसा नहीं लेंगी? आप ने फ़रमाया: औरतों के लिये कोई ज़रूरी नहीं, चलो आगे बढ़ो। (बुख़ारी)

— मक़ामे इब्राहीम के आसपास मर्दो का हुजूम हो तो औरतें वहाँ तवाफ़ की दो रकात नमाज़ पढ़ने की कोशिश ना करें बल्कि मस्जिदे हराम में किसी भी जगह पढ़ लें।

— औरतें सई में हरी ट्यूब लाइटों के दरमियान मर्दों की तरह दौड़ कर ना चलें।

— तवाफ़ और सई के दौरान मर्दों से जितना मुमकिन हो सके दूर रहें, अगर मस्जिदे हराम में नमाज़ पढ़नी हो तो मख़सूस हिस्से में ही अदा करें, मर्दों के साथ सफ़ों में खड़ी ना हों।

— हज के क़रीब जब हुजूम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो औरतें ऐसे वक़्त में तवाफ़ करें कि जमाअत खड़ी होने से पहले तवाफ़ से फारिग़ हो जायें।

— औरतें भी अपने वालिदैन और रिश्तेदारों की तरफ़ से नफ़्ली उमरे कर सकती हैं।

— तलबिया हमेशा आहिस्ता आवाज़ से पढ़ें।

— मिना, अरफात और मुज़्दलिफा के क़याम के दौरान हर नमाज़ को अपनी क़यामगाह ही में पढ़ें।

— हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अरफात का पूरा मैदान वुक़ूफ़ (ठहरने) की जगह है, इसलिए अपने ख़ेमों में ही रहें और खड़े होकर क़िबला रुख होकर ख़ूब दुआएं मांगें। थकने पर बैठ कर भी अपने आप को दुआओं और ज़िक्र व तिलावत में मशग़ूल रखें, दुनियावी बातें हरगिज़ न करें।

— मुज़्दलिफा पहुंच कर इशा के वक़्त में मग़रिब और इशा दोनों नमाज़ें मिलाकर अदा करें, चाहे जमाअत के साथ पढ़ें या अकेले।

— हुजूम के वक़्त में कंकरियाँ मारने हरगिज़ ना जायें (औरतें रात में भी बग़ैर कराहत के कंकरियाँ मार सकती हैं)।

— मामूली मामूली मजबूरी की वजह से दूसरों से रमी (कंकरियाँ मारना) ना करायें, बल्कि हुजूम के बाद ख़ुद कंकरियाँ मारें। बग़ैर किसी शरई मज़बूरी के दूसरे से रमी कराने पर दम लाज़िम होगा।

– तवाफ़े ज़ियारत माहवारी के दिनों में हरगिज़ ना करें, वर्ना एक बुदना यानी पूरा ऊंट या पूरी गाये ज़बह करना वाजिब होगी।

– माहवारी की हालत में अगर तवाफ़े ज़ियारत किया, मगर फिर पाक होकर दोबारा कर लिया तो बुदना यानी पूरे ऊंट या पूरी गाय की क़ुर्बानी वाजिब नहीं होगी।

– तवाफ़े ज़ियारत (हज का तवाफ़) का वक़्त 10 ज़िलहिज्जा से 12 ज़िलहिज्जा के सूरज डूबने तक है, इन दिनों में अगर किसी औरत को माहवारी आती रही तो वह तवाफ़े ज़ियारत ना करे बल्कि पाक होने के बाद ही करे (इस देरी की वजह से कोई दम वाजिब नहीं होगा)। हाँ तवाफ़े ज़ियारत किये बग़ैर कोई औरत अपने वतन वापस नहीं जा सकती, अगर वापस चली गयी तो उमर भर यह फर्ज़ लाज़िम रहेगा और शौहर के साथ सोहबत करना और बोस व किनार करना हराम रहेगा यहाँ तक कि दोबारा हाज़िर होकर तवाफ़े ज़ियारत करे। लिहाज़ा तवाफ़े ज़ियारत किये बग़ैर कोई औरत घर वापस ना जाये।

अहम हिदायत: अगर तवाफ़े ज़ियारत से पहले किसी औरत को माहवारी आ जाये और उसके तय शुदा प्रोग्राम के मुताबिक़ इसकी गुंजाइश ना हो कि वह पाक होकर तवाफ़े

ज़ियारत कर सके तो उसके लिए ज़रूरी है कि वह हर तरह की कोशिश करे कि उसके सफ़र की तारीख़ आगे बढ़ सके, ताकि वह पाक होकर तवाफ़े ज़ियारत अदा करने के बाद अपने घर वापस जा सके (आमतौर पर मुअल्लिम हज़रात ऐसे मौक़े पर तारीख़ बढ़ा देते हैं), लेकिन अगर ऐसी सारी ही कोशिशें नाकाम हो जायें और पाक होने से पहले उसका सफ़र ज़रूरी हो जाये तो ऐसी सूरत में नापाकी की हालत में वह तवाफ़े ज़ियारत कर सकती है। यह तवाफ़े ज़ियारत शरई तौर पर माना जायेगा और वह पूरे तौर पर हलाल हो जायेगी, लेकिन इस पर एक बुदना (यानी पूरा ऊंट या पूरी गाय) की क़ुर्बानी बतौर दम हरम के हुदूद के अंदर लाज़िम होगी (जानवर की यह क़ुर्बानी उसी वक़्त देना ज़रूरी नहीं बल्कि ज़िन्दगी में जब चाहे दे दे)। (हज व उमरह - काज़ी मुजाहिदुल इस्लाम)

– तवाफ़े ज़ियारत और हज की सई करने तक शौहर के साथ जिन्सी तअल्लुक़ात से बिल्कुल दूर रहें।

– अगर कोई ख़ातून अपनी आदत या दूसरी अलामतों से यह जानती है कि जल्दी ही हैज़ शुरू होने वाला है और हैज़ आने में इतना वक़्त है कि वह मक्का जाकर तवाफ़े ज़ियारत कर सकती है तो फौरन कर ले, देर ना करे और

अगर इतना वक़्त भी नहीं कि तवाफ़ कर सके तो फिर पाक होने तक इन्तेज़ार करे। तवाफ़े ज़ियारत 10 ज़िलहिज्जा की सुबहे सादिक से लेकर 12 ज़िलहिज्जा के सूरज डूबने तक रमी, क़ुर्बानी और बाल कटवाने से पहले या बाद में किसी वक़्त भी किया जा सकता है।

— मक्का से रवानगी के वक़्त अगर किसी औरत को माहवारी आने लगे तो तवाफ़े विदा इस पर वाजिब नहीं। तवाफ़े विदा किये बग़ैर वह अपने वतन जा सकती है।

— जो मसाइल माहवारी के बयान किये गये हैं वही बच्चे की पैदाइश के बाद आने वाले ख़ून के हैं, यानी इस हालत में भी औरतें तवाफ़ नहीं कर सकतीं, हाँ तवाफ़ के अलावा सारे आमाल हाजियों की तरह अदा करेंगी।

— अगर किसी औरत को बीमारी का ख़ून आ रहा है तो वह नमाज़ भी अदा करेगी और तवाफ़ भी कर सकती है, उसका तरीक़ा यह है कि एक नमाज़ के वक़्त में वुज़ू करे और फिर उस वुज़ू से उस नमाज़ के वक़्त में जितने चाहे तवाफ़ करे और जितनी चाहे नमाज़ें पढ़े। दूसरी नमाज़ का वक़्त दाखिल होने पर दोबारा वुज़ू करे। अगर तवाफ़ मुकम्मल होने से पहले ही दूसरी नमाज़ का वक़्त दाखिल हो जाये तो वुज़ू करके तवाफ़ मुकम्मल करे।

— कुछ औरतों को हज या उमरह का एहराम बांधने के वक़्त या उन को अदा करने के दौरान माहवारी आ जाती है जिसकी वजह से हज व उमरा अदा करने में रुकावट पैदा हो जाती है और कई बार क़याम (ठहरने) का वक़्त कम होने की वजह से सख़्त परेशानी हो जाती है, इसलिए जिन औरतों को हज या उमरा अदा करने के दौरान माहवारी आने का अन्देशा हो उनके लिए मशवरा यह है कि वह किसी लेडी डाक्टर से अपने मिज़ाज व सेहत के मुताबिक़ आरज़ी तौर पर माहवारी रोकने वाली दवा ले लें, ताकि हज व उमरा के अरकान अदा करने में कोई उलझन पेश ना आये। शरई लिहाज से ऐसी दवाएं इस्तेमाल करने की गुंजाइश है।

— हरमैन में तक़रीबन हर नमाज़ के बाद जनाज़े की नमाज़ होती है, औरतें भी इस में शरीक हो सकती हैं।

बच्चे का हज

— अगर नाबालिग़ बच्चा होशियार और समझदार है तो खुद गुस्ल करके एहराम बांधे और बालिग़ की तरह सारे आमाल अदा करे और अगर नासमझ और छोटा बच्चा है तो उसका वली उसकी तरफ़ से एहराम बांधे, यानी सिले हुए कपड़े उतारकर उसको एक चादर में लपेट दे और नियत करे कि मैं इस बच्चे को मोहरिम यानी एहराम बांधने वाला बनाता हूँ।

— छोटे बच्चे को हालते एहराम में पैम्पर पहना सकते हैं।

— जो बच्चा तलबिया ख़ुद पढ़ सकता है ख़ुद पढ़े, वर्ना वली अपनी तरफ़ से पढ़ने के बाद उसकी तरफ़ से पढ़ दे।

— समझदार बच्चे को बग़ैर वुज़ू के तवाफ़ ना करायें।

— समझदार बच्चा ख़ुद तवाफ़ और सई करे, नासमझ को वली गोद में लेकर तवाफ़ और सई कराये। ज़रूरत पड़ने पर समझदार बच्चे को भी गोद में लेकर तवाफ़ कर सकते हैं।

— बच्चा जो हज के आमाल खुद अदा कर सकता है खुद अदा करे और अगर ख़ुद ना कर सके तो उसका वली करा दे, अगर कोई अमल रह जाये तो कोई दम वग़ैरह वाजिब नहीं।

— वली को चाहिए कि बच्चे को ममनूआते एहराम (एहराम बांधने के बाद मना किये गये कामों) से बचाये, लेकिन अगर ऐसा काम बच्चा कर ले तो उसकी जज़ा (यानी दम वगैरह) वाजिब ना होगा, ना बच्चे पर और ना उसके वली पर।

— बच्चे का एहराम लाज़िम नहीं होता, अगर तमाम आमाल छोड़ दे या कुछ उनमें से छोड़ दे तो उस पर कोई हरजाना या क़ज़ा वाजिब नहीं। इसी तरह बच्चे पर क़ुर्बानी वाजिब नहीं, चाहे तमत्तो या क़िरान का एहराम ही क्यों ना बांधा हो।

— बच्चों को हज करवाने में वालिदैन को भी सवाब मिलता है।

— बच्चे के साथ हज का कोई अमल भीड़ के वक़्त में अदा ना करें।

— बच्चे पर हज फर्ज़ नहीं होता है, इसलिए यह हज नफ़्ली हज होगा।

हज्जे बदल का मुख़्तसर बयान

हज़रत जाबिर (रज़ि॰) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया: अल्लाह तआला (हज्जे बदल में) एक हज की वज़ह से तीन आदमियों को जन्नत में दाखिल फ़रमाते हैं, एक मरहूम (जिसकी तरफ़ से हज्जे बदल किया जा रहा है) , दूसरा हज करने वाला और तीसरा वह शख़्स जो हज को भेज रहा हो। (अत्तरग़ीब वत्तरहीब)

जिस शख़्स पर हज फर्ज़ हो गया और अदा करने का वक़्त भी मिला, लेकिन अदा नहीं किया और बाद में किसी मजबूरी की वजह से अदा करने पर क़ुदरत ना रही तो इस पर किसी दूसरे से हज करवाना फर्ज़ है, ख़्वाह अपनी ज़िन्दगी में कराये या मरने के बाद हज कराने की वसीयत कर जाये।

हज्जे बदल के शराएत: हज्जे फर्ज़ दूसरे से कराने के लिए बहुत सी शर्तें हैं जिनमें से कुछ अहम शर्ते यह हैं:

1) जो शख़्स अपना हज्जे फर्ज़ करवाना चाहता है उस पर हज का फ़र्ज होना।

2) हज फर्ज़ होने के बाद किसी बीमारी वग़ैरह की वहज से हज करने से आजिज़ होना।

3) सफर के खर्च ेंमहज करवाने वाले का रुपया ख़र्च होना।

4) जिसकी जानिब से हज अदा किया जा रहा है सिर्फ उसी की जानिब से हज का एहराम बांधना।

5) हज्जे बदल करने वाला पहले अपना हज अदा कर चुका हो।

नफ़्ली हज्जे बदल: अगर कोई शख़्स अपने माल में से किसी ज़िन्दा ज़्यादा बीमार या बहुत बूढ़े या मुर्दा रिश्तेदार की तरफ़ से हज्जे बदल (नफ़्ली) करना चाहता है या किसी से करवाना चाहता है जिससे सवाब पहुंचाना मक़सूद हो तो इस तरह हज्जे बदल नफ़्ली करना सही है।

नोट: हज्जे बदल करने वाले के लिए हज्जे इफ़राद ही बेहतर है, अगरचे हज्जे क़िरान भी जाएज़ है और हज करवाने वाले की इज़ाजत से हज्जे तमत्तो भी कर सकता है।

हज्जे बदल के कुछ मसाइल

— वह शख़्स जो हज पर जाने की ताक़त रखता हो अगर हज किये बग़ैर इन्तक़ाल कर जाये और उसके वारिस

उसकी तरफ़ से हज अदा करें तो इसका फर्ज़ अदा हो जायेगा इन्शाअल्लाह।

— हज की नज़र मानने वाला शख़्स अगर हज किये बग़ैर इन्तक़ाल कर जाये और उसके वारिस उसकी तरफ़ से हज अदा करें तो मरने वाले की नज़र पूरी हो जायेगी इन्शाअल्लाह।

— अगर कोई शख़्स अपने माल में से किसी दूसरे ज़िन्दा या मुर्दा शख़्स की तरफ़ से नफ़्ली हज अदा करे तो उसका अज्र व सवाब करने वाले और जिसकी तरफ़ से किया गया दोनों को मिलेगा इन्शाअल्लाह।

— औरत मर्द की तरफ़ से भी हज्जे बदल कर सकती है मगर महरम या शौहर साथ हो। इसी तरह मर्द औरत की तरफ़ से भी हज्जे बदल कर सकता है।

जिनायत का बयान

हर वह काम करना जिनायत कहलाता है जिसका करना एहराम या हरम की वजह से मना हो।

एहराम की जिनायात यह हैं:

(1) ख़ुशबू इस्तेमाल करना।

(2) मर्द का सिला हुआ कपड़ा पहनना।

(3) मर्द का सर या चेहरा ढांकना और औरत का सिर्फ़ चेहरा ढांकना।

(4) जिस्म से बाल दूर करना।

(5) नाख़ुन काटना।

(6) मियां बीवी का सोहबत करना।

(7) ख़ुश्की के जानवर का शिकार करना।

(8) वाजिबाते हज में से किसी को छोड़ देना।

हरम की जिनायात दो हैं:

(1) हरम के जानवर को छेड़ना, यानी शिकार करना और तकलीफ पहुँचाना।

(2) हरम में खुद उगे हुए पेड़ या घास काटना।

जिनायत हो जाने पर तफसीली जानकारी के लिये आलिमों व मुफ्तियों से रुजू करें।

हाजियों की कुछ ग़लतियाँ

– हज के ख़र्चों में हराम माल का इस्तेमाल करना।

– हज के सफ़र से पहले हज के मसाइल मालूम ना करना।

– अपनी तरफ़ से हज किये बग़ैर दूसरे की तरफ़ से हज करना।

– सफ़रे हज के दौरान नमाज़ों की पाबंदी ना करना।

– हज के इस सफ़र के दौरान लड़ना झगड़ना यहाँ तक कि किसी पर ग़ुस्सा होना।

– बड़ी गलतियों में से एक बग़ैर एहराम के मीक़ात से आगे बढ़ जाना है, लिहाज़ा हवाई जहाज़ पर सवार होने वाले हज़रात एयरपोर्ट पर ही एहराम बांध लें या एहराम लेकर हवाई जहाज़ पर सवार हो जायें और मीक़ात से पहले पहले बांध लें।

– कुछ हज़रात शुरू ही से इज़्तेबा (यानी दाहिनी बग़ल के नीचे से एहराम की चादर निकाल कर बायें कंधे पर डालना) करते हैं, यह ग़लत है, बल्कि सिर्फ़ तवाफ़ के दौरान इज़्तेबा करना सुन्नत है। नमाज़ के दौरान इज़्तेबा करना मकरूह है, लिहाज़ा दोनों बाज़ू ढांककर ही नमाज़ पढ़ें।

– कुछ हाजी हज्रे असवद को चूमने के लिए दूसरे लोगों को तकलीफ़ देते हैं, हालांकि चूमना सिर्फ़ सुन्नत है, जबकि दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाना हराम है।
– हज्रे असवद का इस्तेलाम करने के वक़्त के अलावा, तवाफ़ करते हुए काबे की तरफ़ चेहरा या पीठ करना बेहतर नहीं है।
– कुछ लोग हज्रे असवद के अलावा काबा के दूसरे हिस्से को भी चूमते हैं और छूते हैं जो ग़लत है, बल्कि बोसा सिर्फ़ हज्रे असवद या ख़ाना काबा के दरवाजे का लिया जाता है। रुक्ने यमानी और हज्रे असवद के अलावा काबे के किसी हिस्से को भी तवाफ़ के दौरान ना छुऐं, हाँ तवाफ़ और नमाज़ से फरागत के बाद मुल्तज़म पर जाकर इससे चिमट कर दुआएं मांगना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है।
– रुक्ने यमानी को चूमना या दूर से उसकी तरफ़ हाथ से इशारा करना ग़लत है, बल्कि तवाफ़ के दौरान उसको सिर्फ़ हाथ लगाने का हुक्म है वह भी अगर सहूलत से किसी को तकलीफ़ दिये बग़ैर मुमकिन हो।
– कुछ लोग तवाफ़ के दौरान हज्रे असवद के सामने देर तक खड़े रहते हैं, ऐसा करना ग़लत है, क्योंकि उससे तवाफ़

करने वालों को परेशानी होती है, सिर्फ़ थोड़ा रुक कर इशारा करें और बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर आगे बढ़ जायें।

— कुछ हाजी तवाफ़ के दौरान अगर ग़लती से हज्रे असवद के सामने से इशारा किये बग़ैर गुज़र जायें तो वह हज्रे असवद के सामने दोबारा वापस आने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं जिससे तवाफ़ करने वालों को बेहद परेशानी होती है, इसलिए अगर कभी ऐसा हो जाये और भीड़ ज़्यादा हो तो दोबारा वापस आने की कोशिश ना करें, क्योंकि तवाफ़ के दौरान हज्रे असवद को चूमना या उसकी तरफ़ इशारा करना सुन्नत है, वाजिब नहीं।

— तवाफ़ और सई के हर चक्कर के लिए किसी ख़ास दुआ को ज़रूरी समझना ग़लत है, बल्कि जो चाहें और जिस ज़बान में चाहें दुआ करें।

— तवाफ़ और सई के दौरान कुछ लोगों का आवाज़ के साथ दुआ करना सही नहीं है, क्योंकि इससे दूसरे तवाफ़ और सई करने वालों की दुआओं में ख़लल पड़ता है।

— कुछ लोगों को जब तवाफ़ या सई के चक्करों में शक हो जाता है तो वह दोबारा तवाफ़ या सई करते हैं, यह ग़लत

है, बल्कि कम अदद मानकर बाक़ी तवाफ़ या सई के चक्कर पूरे करें।

— सफ़ा व मरवह पर पहुंचकर ख़ाना काबा की तरफ़ हाथ से इशारा करना ग़लत है, बल्कि दुआ की तरह दोनों हाथ उठाकर कर दुआएं करें।

— कुछ हाजी अरफात में जबले रहमत पर चढ़कर दुआएं मांगते हैं, हालांकि पहाड़ पर चढ़ने की कोई फज़ीलत नहीं है, बल्कि इस के नीचे या अरफात के मैदान में किसी भी जगह खड़े होकर काबा की तरफ़ रुख करके हाथ उठाकर दुआएं करें।

— अरफात में जबले रहमत की तरफ रुख करके और काबा की तरफ़ पीठ करके दुआएं मांगना ग़लत है, बल्कि दुआ के वक़्त काबा की तरफ़ रुख करें, चाहे जबले रहमत आपके पीछे हो या आगे।

— अरफात से मुज़्दलिफा जाते हुए रास्ते में सिर्फ़ मग़रिब या मग़रिब और इशा दोनों का पढ़ना सही नहीं है, बल्कि मुज़्दलिफा पहुंच कर ही इशा के वक़्त में दोनों नमाज़ें अदा करें।

— मुज़्दलिफा पहुंचकर मग़रिब और इशा की नमाज़ पढ़ने से पहले ही कंकरियाँ उठाना सही नहीं है, बल्कि मुज़्दलिफा

पहुंचकर सबसे पहले इशा के वक़्त में दोनों नमाज़ें अदा करें।

बहुत से हाजी मुज़्दलिफा में 10 ज़िलहिज्जा की फ़ज्र की नमाज़ पढ़ने में जल्दबाज़ी से काम लेते हैं और क़िबला रुख होने में एहतियात से काम नहीं लेते जिससे नमाज़ नहीं होती, लिहाज़ा फ़ज्र की नमाज़ वक़्त दाखिल होने के बाद ही पढ़ें और क़िबले का रुख जानकार लोगों से मालूम करें, अगर जानकार न हों तो क़िबले के रुख को तय करने के लिये गौर व फिक्र से काम लें।

– मुज़्दलफ़ा में फ़ज्र की नमाज़ के बाद अरफात के मैदान की तरह हाथ उठाकर क़िबला रुख होकर ख़ूब दुआएं मांगी जाती हैं, मगर ज़्यादातर हाजी इस अहम वक़्त के वुक़ूफ़ यानी दुआएं करने को छोड़ देते हैं।

– कुछ लोग वक़्त से पहले ही कंकरियाँ मारना शुरू कर देते हैं, हालांकि जिन घड़ियों में कंकरियाँ मारनी चाहिए उनसे पहले कंकरियाँ मारना जाएज़ नहीं है।

– कुछ लोग कंकरियाँ मारते वक़्त यह समझते हैं कि इस जगह शैतन है, इसलिए कभी कभी देखा जाता है कि वह जूता वग़ैरह भी मार देते हैं। इसकी कोई हक़ीक़त नहीं, बल्कि छोटी छोटी कंकरियाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम

का इत्तेबा करते हुए मारी जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के हुक्म से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए ले जा रहे थे तो शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इन्हीं तीन जगहों पर बहकाने की कोशिश की थी और हज़रत इब्राहीम ने इन तीनों जगहों पर शैतान को कंकरियाँ मारी थीं।

— कुछ औरतें सिर्फ़ भीड़ की वजह से ख़ुद रमी नहीं करतीं, बल्कि उनके महरम उनकी तरफ़ से भी कंकरियाँ मार देते हैं, इस पर दम वाजिब होगा, क्योंकि सिर्फ़ भीड़ का होना शरई मज़बूरी नहीं है और बग़ैर शरई मज़बूरी के किसी दूसरे से रमी कराना जाएज़ नहीं है।

— कुछ लोग पहले जमरे और बीच वाले जमरे पर कंकरियाँ मारने के बाद दुआएं नहीं करते, यह सुन्नत के खिलाफ है, लिहाज़ा पहले और बीच वाले जमरे पर कंकरियाँ मारकर ज़रा दायें या बायें तरफ़ हट कर ख़ूब दुआएं करें, यह दुआओं के क़बूल होने का ख़ास वक़्त है।

हज में दुआएं

हज के दौरान कुछ जगहें ऐसी आती हैं जहाँ क़िबला रुख खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर ख़ूब दुआएं मांगी जाती हैं:

(1) सई के दौरान सफ़ा व मरवह पहाड़ी पर।

(2) अरफात के मैदान में 9 ज़िलहिज्जा को ज़वाल के बाद से सूरज डूबने तक।

(3) मुज़्दलिफा में 10 ज़िलहिज्जा को नमाज़े फ़ज्र के बाद से कुछ देर तक।

(4) 11, 12 और 13 ज़िलहिज्जा को पहले और दूसरे जमरे पर कंकरियाँ मारने के बाद ज़रा दायें या बायें जानिब हटकर।

इन जगहों पर भी दुआएं क़ुबूल होती हैं, इसलिए इन जगहों पर भी दुआएं मांगें:

(1) ख़ाना काबा पर पहली नज़र पड़ते वक़्त।

(2) तवाफ़ और सई करते वक़्त।

(3) मुलतज़म पर।

(4) हतीम में।

(5) मिना, मुज़्दलिफा और अरफात में।

हज के असरात

सूरह बक़रह (आयत 207-208) में हज के अहकाम बयान करने के बाद अल्लाह तआला फ़रमाता है:

कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रज़ाऐ इलाही की तलब में अपनी जान खपा देते हैं और अल्लाह तआला ऐसे बन्दों पर बहुत मेहरबान है। ऐ ईमान वालो! पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान की पैरवी न करो, क्योंकि वह तुम्हारा खुला दुश्मन है।

लिहाज़ा हाजी को चाहिए कि गुनाहों से पाक व साफ़ हो जाने के बाद गुनाहों की तरफ़ उसकी वापसी ना हो, बल्कि नेकी के बाद नेकी ही करता जाये। हज के मक़बूल व मबरूर होने की अलामत भी यही बतायी जाती है कि हज से फराग़त के बाद नेक आमाल का एहतमाम और पाबंदी पहले से ज़्यादा हो जाये, दुनिया से लगाव कम हो जाये और आखिरत से लगाव बढ़ जाये। अल्लाह तआला से दुआ है कि वह आप के हज को क़ुबूल फरमाये और आपको आखिरत की तैयारी करने वाला बनाये।

सफ़रे मदीना मुनव्वरा

अल्लाह तआला फ़रमाता है:

बेशक अल्लाह तआला और उसके फ़रिश्ते नबी पर रहमत भेजते हैं। ऐ ईमान वालो! तुम भी दुरूद भेजा करो और ख़ूब सलाम भेजा करो। (सूरह अल अहजाब: 54)

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया:

जो शख़्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है, अल्लाह तआला उसके बदले उस पर दस रहमतें नाज़िल फ़रमाता है और उसके लिए दस नेकियाँ लिख देता है। (तिर्मिज़ी)

मदीना तय्यबा के फज़ाइल

मदीना मुनव्वरा के फ़जाइल व ख़ूबियाँ बेशुमार हैं, अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक उसका बहुत बुलन्द मक़ाम है। मदीना मुनव्वरा की फज़ीलत के लिए यही काफ़ी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर वहीं रहे और वहीं पर मदफ़ून हैं। इसी पाक सरज़मीन से दीने इस्लाम दुनिया के कोने कोने तक फैला। इस शहर

को तैबा और ताबा (यानी पाकीज़गी का मरकज़) भी कहा जाता है।

– हज़रत आइशा (रज़ि॰) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करते हुए फरमाया: ऐ अल्लाह! मदीना की मुहब्बत हमारे दिलों में मक्का की मुहब्बत से भी बढ़ा दे। (बुख़ारी)

– हज़रत अनस (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया: या अल्लाह! मक्का को तूने जितनी बरकत अता फरमाई है मदीना को इससे दोगुनी बरकत अता फरमा। (बुख़ारी)

मस्जिदे नबवी की ज़ियारत के फज़ाईल

– हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया: तीन मस्जिदों के अलावा किसी दूसरी मस्जिद का सफ़र ना किया जाये, मस्जिदे हराम, मस्जिदे नबवी और मस्जिदे अक़्सा। (बुख़ारी)

– हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि॰) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: मेरी इस मस्जिद में नमाज़ का सवाब दूसरी मस्जिदों के मुक़ाबले हज़ार गुना ज़्यादा है सिवाये मस्जिदे हराम के।

(मुस्लिम) इब्ने माजा की रिवायत में पचास हज़ार नमाज़ों के सवाब का ज़िक्र है।

— हज़रत अनस (रज़ि॰) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया: जिस शख़्स ने मेरी इस मस्जिद में फौत किये बग़ैर चालीस नमाज़ें अदा कीं उसके लिए आग से बरी होना, अज़ाब से नजात और निफ़ाक़ से बरी होना लिखा गया। (तिर्मिज़ी, तबरानी, मुसनद अहमद)

कुछ उलमा ने इस हदीस की सनद में कमज़ोरी की तरफ़ इशारा किया है, लेकिन दूसरे मुहद्दिसीन व उलमा ने इस हदीस को सही क़रार दिया है।

इसलिये मदीना मुनव्वरा के क़याम के दौरान तमाम नमाज़ें मस्जिदे नबवी ही में पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि एक नमाज़ का सवाब हज़ार गुना या दूसरी रिवायत के मुताबिक पचास हज़ार गुना ज़्यादा है, इसी के साथ हदीस में ज़िक्र की गई यह फ़ज़ीलत भी हासिल हो जायेगी। (इंशाअल्लाह)

वज़ाहत: हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की ज़ियारत और आप की क़ब्रे अतहर पर जाकर दुरूद व सलाम पढ़ना ना हज के वाजिबात में से है ना

मुस्तहब्बात में से, बल्कि मस्जिदे नबवी की ज़ियारत और वहां पहुंच कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्रे अतहर पर दुरूद सलाम व पढ़ना हर वक़्त मुस्तहब है और बड़ी ख़ुश नसीबी है, बल्कि कुछ उलमा ने उन लोगों के लिये जो इसकी ताक़त रखते हो वाजिब के क़रीब लिखा है।

क़ब्रे अतहर की ज़ियारत के फज़ाईल

—हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया: जो शख़्स मेरी क़ब्र के पास खड़े होकर मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ता है मैं इसको ख़ुद सुनता हूँ और जो किसी और जगह दुरूद पढ़ता है तो उसकी दुनिया व आखिरत की ज़रूरतें पूरी की जाती हैं और मैं क़यामत के दिन उसका गवाह और उसका सिफारशी हूंगा। (बैहक़ी)

—हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया: जो शख़्स मेरी क़ब्र के पास आकर मुझ पर सलाम पढ़े तो अल्लाह जल्लाशानुहु मेरी रूह मुझ तक पहुंचा देते हैं, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। (मुसनद अहमद, अबू दाऊद)

अल्लामा इब्ने हजर (रह॰) शरहे मनासिक में लिखते हैं कि मेरी रूह मुझ तक पहुँचाने का मतलब यह है कि बोलने की कुव्वत अता फ़रमाते हैं।

सफ़रे मदीना मुनव्वरा

जूं जूं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर (मदीना तय्यबा) क़रीब आता जाये ज़ौक़ व शौक़ और पूरी तवज्जोह से ज़्यादा से ज़्यादा दुरूदे पाक पढ़ते रहें (नमाज़ वाला दुरूद शरीफ यानी दरूद इब्राहीमी सबसे बेहतर है)।
जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने लगें तो दुरूद शरीफ के बाद अगर याद हो तो यह दुआ पढ़ें: अल्लाहुम्मा हाज़ा हरमु नबिय्यिका फजअलहु ली विक़ायतम मिनन्नार व अमानम मिनल अज़ाब व सूइल हिसाब। ऐ अल्लाह! यह आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरम है, इसको मेरी जहन्नम से ख़लासी का ज़रिया बना दे और अमन का सबब बना दे और हिसाब से बरी कर दे।

मस्जिदे नबवी में हाज़िरी

शहर में दाखिल होने के बाद सामान वग़ैरह अपनी रिहाइशगाह में रखकर अगर आराम की ज़रूरत है तो आराम कर लें, वर्ना ग़ुस्ल या वुज़ू करके साफ़ सुथरा लिबास पहनकर मस्जिदे नबवी चले जायें। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ:

“बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अल्लाहुम्मग़फिरली ज़ुनूबी वफ्तह ली अबवाबा रहमतिक” पढ़कर दायां क़दम अन्दर रखकर अदब व एहतराम के साथ मस्जिदे नबवी में दाखिल हो जायें, तहिय्यतुल मस्जिद की दो रकात अदा करें।

वज़ाहत: अगर जमात हो रही हो या फ़र्ज नमाज़ के कज़ा हो जाने का अंदेशा हो तो फर्ज़ नमाज़ पेंढ़ तहिय्यतुल मस्जिद ना पढ़े।

दुरूद व सलाम पढ़ना

दो रकात तहिय्यतुल मस्जिद पढ़कर बड़े अदब व एहतराम के साथ हुजरए मुबारका (जहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफ़ून हैं) की तरफ़ चलें। जब आप दूसरी जाली के सामने पहुंच जायें तो आप को तीन सुराख़ नज़र आयेंगे, पहले और बड़े गोलाई वाले सुराख़ पर आने का मतलब है कि उस जगह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरए अनवर सामने है, लिहाज़ा जालियों की तरफ रुख करके थोड़े फासिले पर अदब से खड़े हो जायें, नज़रें नीची रखें और आप सल्लल्लाहु अलैहि

वसल्लम की अज़मत का लिहाज़ करते हुए न बहुत ज़्यादा तेज़ न बहुत ज़्यादा हल्की बल्कि बीच की आवाज़ से सलाम पढ़ें।

अस्सलातु वस्सलामु अलइका या रसूलल्लाह

अस्सलातु वस्सलामु अलइका या नबी अल्लाह

अस्सलातु वस्सलामु अलइका या हबीबल्लाह

अस्सलातु वस्सलामु अलइका या ख़ैइरा ख़ल्क़िल्लाह

अस्सलातु वस्सलामु अलइका या सय्यिदल मुरसलीन

अस्सलातु वस्सलामु अलइका या ख़ातमन्नबिय्यीन

इसके बाद अपने उन अज़ीज व अक़ारिब और दोस्तों का सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचायें जिन्होंने आपसे फरमाइश की है, इस तरह अर्ज़ करें:

अस्सलातु वस्सलामु अलइका या रसूलल्लाह मिन....... (उस शख़्स का नाम)।

अगर सब की तरफ़ से अलग अलग सलाम कहना मुश्किल हो तो इस तरह कह दें:

अस्सलातु वस्सलामु अलइका या रसूलल्लाह मिन जमीअ मन औउसानी बिस्सलाम।

अगर यह कलिमात याद ना हों तो इस तरह अर्ज़ कर दे:

या रसूलुल्लाह! बहुत से लोगों ने आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ किया है, उन सबका सलाम क़ूबल फरमा लीजिए।

इसके बाद दायीं तरफ़ जालियों में दूसरा सुराख़ है, उसके सामने खड़े होकर हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि॰) की खिदमत में इस तरह सलाम अर्ज़ करें:

अस्सलामु अलईका या अबाबक्रिनिस्सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु

अस्सलामु अलईका या ख़लीफ़तरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

अस्सलामु अलईका या साहिबा रसूलिल्लाहि फिल ग़ार रज़ियल्लाहु अन्हु

अस्सलामु अलईका या अव्वलल ख़ुलाफा रज़ियल्लाहु अन्हु

फिर उसके बाद ज़रा दायीं तरफ़ हटकर तीसरे गोल सुराख़ के सामने खड़े होकर हज़रत उमर फारूक़ (रज़ि॰) को इस तरह सलाम अर्ज़ करें:

अस्सलामु अलईका या उमरब्नलख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु

अस्सलामु अलईका या अमीरल मुअमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु

अस्सलामु अलईका या सानियल ख़ुलाफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु

अस्सलामु अलईका या शहीदल मेहराब रज़ियल्लाहु अन्हु
वज़ाहत: बस इसी को सलाम कहते हैं, जब भी सलाम अर्ज़ करना हो इसी तरह अर्ज़ किया केंऱ फिर अगर चाहें तो इस जगह से हटकर क़िबला रुख होकर अल्लाह तआला से अपने लिये और अपने वालिदैन और तमाम मुसलमानों के लिए दुआएं करें।

अहम हिदायत: कभी कभी भीड़ की वजह से हुजरए मुबारका के सामने एक मिनट भी खड़े होने का मौक़ा नहीं मिलता, सलाम पेश करने वालों को हुजरए मुबारका के सामने से गुज़ार दिया जाता है, लिहाज़ा जब ऐसी सूरत हो और आप लाइन में खड़े हों तो इन्तेहाई सुकून और इत्मिनान के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते रहें और हुजरए मुबारका के सामने पहुंच कर दूसरी जाली में बड़े सुराख के सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चलते चलते मुख़्तसरन दुरूद व सलाम पढ़ें, फिर दूसरे और तीसरे सुराखों के सामने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ (रज़ि॰) और हज़रत उमर फारूक़ (रज़ि॰) की खिदमत में चलते चलते सलाम अर्ज़ करें।

रियाज़ुल्जन्नह

क़दीम मस्जिदे नबवी में मिंबर और रोज़ए अक़दस के दरमियान जो जगह है वह रियाज़ुल्जन्नह कहलाती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है: यह हिस्सा जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है।
रियाजुल्जन्नह की पहचान के लिए यहां सफेद संगे मरमर के सुतून हैं, इन सुतूनों को उस्तवानह कहते हैं, इन सुतूनों पर उनके नाम भी लिख हुए हैं।
रियाज़ुल्जन्नह के पूरे हिस्से में जहाँ ख़ूबसूरत क़ालीनों का फ़र्श है नमाज़ें अदा करने से ज़्यादा सवाब मिलता है और क़ुबूलियते दुआ के लिए भी यह ख़ास जगह है, लेकिन इस बात का ख़ास ख़्याल रखें कि रियाज़ुल्जन्नह तक पहुँचने में और वहां नमाज़ अदा करने या दुआ मांगने में किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे।

अस्हाबे सुफ़्फ़ा का चबूतरा

मस्जिदे नबवी में हुजरए शरीफा के पीछे एक चबूतरा बना हुआ है, यह वह जगह है जहाँ वह मिस्कीन व ग़रीब सहाबए किराम क़याम फरमाते थे जिनका ना घर था ना

दर और जो दिन व रात ज़िक्र व तिलावत करते और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से फ़ायदा उठाते थे। हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) इसी दर्सगाह के होनहार शागिर्दों में से हैं।

अस्हाबे सुफ़्फ़ा की तादाद कम और ज़्यादा होती रहती थी, कभी कभी उनकी तादाद 80 तक पहुंच जाती थी। सूरह कहफ़ की आयत नम्बर (28) उन्हीं अस्हाब सुफ़्फ़ा के बारे में नाज़िल हुई जिसमें अल्लाह तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके साथ बैठने का हुक्म दिया। अगर आपको मौक़ा मिल जाये तो यहाँ भी नवाफिल पढ़ें, ज़िक्र व तिलावत करें और दुआएं करें।

जन्नतुल बक़ीअ, बक़ीउल ग़रक़द

यह मदीना मुनव्वरा का क़ब्रिस्तान है जो मस्जिदे नबवी के पूरब में मस्जिदे नबवी से बहुत थोड़े फ़ासले पर है, इसमें बेशुमार सहाबा और औलिया अल्लाह दफ़न हैं। मदीना के क़याम के ज़माने में यहाँ भी हाज़िरी देते रहें और उनके लिए और अपने लिए अल्लाह से मग़फिरत व रहमत और दरजात की बुलन्दी के लिए दुआ करते रहें। जन्नतुल बक़ीअ में सुबह को फ़ज्र की नमाज़ के बाद और शाम को

अस्र से मग़रिब तक मर्दो के लिए दाखिले की आम इज़ाजत रहती है।

जब जन्नतुल बक़ी में दाखिल हों तो यह दुआ पढ़ें (अगर याद हो)

अस्सलामुअलइकुम या अहलल क़ुबूर अन्तुमुस्साबिक़ून,
व नहनु इन्शाअल्लाहु बिकुम लाहिक़ून,
नसअलुल्लाहा लना व लकुमुल् आाफियह
यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम व यरहमुल्लाहुल मुसतकदिमीना मिन्ना वलमुस्ताखिरीन
अस्सलामु अलइकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु

जबले उहुद (उहुद का पहाड़)

मस्जिदे नबवी से तक़रीबन 4 या 5 किलोमीटर के फ़ासले पर यह मुक़द्दस पहाड़ है जिसके बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया: (उहुद का पहाड़ हम से मुहब्बत करता है और हम उहुद से मुहब्बत करते हैं।)

इसी पहाड़ के दामन में 3 हिजरी में जंगे उहुद हुई जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख़्त जख़्मी हुए और तक़रीबन 70 सहाबए किराम शहीद हो गये थे। यह

सब शोहदा इसी जगह मदफ़ून हैं जिसका अहाता कर दिया गया है। इसी अहाते के बीच में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा (रज़ि॰) मदफ़ून हैं, आपकी की क़ब्र के बराबर में हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश (रज़ि॰) और मुस्अब बिन उमैर (रज़ि॰) मदफ़ून हैं।

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतमाम से यहां तशरीफ लाते और शहीदों को सलाम व दुआ से नवाज़ते। लिहाज़ा आप भी मदीना मुनव्वरा के क़याम के दौरान कभी कभी ज़रूर तशरीफ ले जायें, सबसे पहले हज़रत हमज़ा (रज़ि॰) को सलाम पेश करें।

अस्सलामु अलईका या सय्यिदना हमज़ह रज़ियल्लाहु अन्हु

अस्सलामु अलईका या अम्म रसूलिल्लाहि

अस्सलामु अलईका या सय्यदशशुहदा

अस्सलामु अलईका या अम्म नबीयिल्लाह

फिर दूसरे शहीदों को मसनून तरीक़े से सलाम अर्ज़ केंर और उनके वास्ते और अपने वास्ते अल्लाह तआला से मगफिरत और रहमत की दुआ करें।

अस्सलामु अलईका या अब्दल्लाहिब्नि जहश रज़ियल्लाहु अन्हु

अस्सलामु अलईका या मुस्अबब्ना उमइर रज़ियल्लाहु अन्हु

अस्सलामु अलईका या शुहदाअ उहुदिन काफ़्फ़तन आम्मतन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु

मदीना तय्यबह की कुछ दूसरी ज़ियारतें

मस्जिदे नबवी के अलावा मदीना मुनव्वरा में कई मस्जिदें हैं जिनमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने नमाज़ पढ़ी है, उनकी ज़ियारत के लिए जाने में कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता इन मस्जिदों में सिर्फ़ मस्जिदे क़ुबा की ज़ियारत करना मसनून है, बाक़ी मस्जिदों की हैसियत सिर्फ़ तारीख़ी है।

मस्जिदे क़ुबा: मस्जिदे क़ुबा मस्जिदे नबवी से तक़रीबन चार किलोमीटर के फ़ासले पर है। मुसलमानों की यह सबसे पहली मस्जिद है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाये तो क़बीला बिन औफ़ के पास क़याम फ़रमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबए किराम के साथ ख़ुद अपने मुबारक हाथों से इस मस्जिद की बुनियाद रखी। इस मस्जिद के बारे में अल्लाह तआला

फ़रमाता है: वह मस्जिद जिसकी बुनियाद इख़्लास व तक़वा पर रखी गयी है। मस्जिदे हराम, मस्जिदे नबवी और मस्जिदे अक़सा के बाद मस्जिदे क़ुबा दुनिया भर की तमाम मस्जिदों में अफ़जल है।
हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सवार होकर कभी पैदल चल कर मस्जिदे क़ुबा तशरीफ लाया करते थे। (मुस्लिम)
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है: जो शख़्स (अपने घर से) निकले और इस मस्जिद यानी मस्जिदे क़ुबा में आकर (दो रकात) नमाज़ पढ़े तो उसे उमरह के बराबर सवाब मिलेगा। (नसई)

मस्जिदे जुमुअह: हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इसी मस्जिद में जुमा अदा फ़रमाया था, यह मस्जिद मस्जिदे क़ुबा के क़रीब ही है।

मस्जिद क़िबलतइन: इस मस्जिद में एक नमाज़ दो क़िबलों (मस्जिदे अक़सा और मस्जिदे हराम) की तरफ़ अदा की गयी थी, इसलिए इसे मस्जिद क़िबलतइन कहते हैं।

मदीना के क़याम के दौरान क्या करें

जब तक मदीना मुनव्वरा में क़याम रहे उसे एक बेहतर मौक़ा समझें और जहां तक हो सके अपने वक़्त को ज़िक्रे इलाही और इबादत में लगाने की कोशिश करें, नीचे दिये गये कुछ कामों का ख़ास ख़्याल रखें।

– ज़्यादा वक़्त मस्जिदे नबवी में गुज़ारें, क्योंकि मालूम नहीं कि यह मौक़ा दोबारा हाथ आयेगा या नहीं।

– पांचों वक़्त की नमाज़ें जमाअत के साथ मस्जिदे नबवी में अदा करें, क्योंकि मस्जिदे नबवी में एक नमाज़ का सवाब दूसरी मस्जिदों के मुक़ाबले में एक हज़ार या पचास हज़ार गुना ज़्यादा है।

– हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्रे अतहर पर हाज़िर होकर ज़्यादा से ज़्यादा सलाम पढ़ें।

– ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें, ज़िक्र व तिलावत और दूसरी तसबीहों की पाबंदी करें।

– रियाज़ुलजन्नह (जन्नत का बाग़ीचा) में जितना मौक़ा मिले नवाफिल पढ़ते रहें और दुआएं करते रहें।

– नमाज़े फ़ज्र या अस्र के बाद जन्नतुल बक़ीअ चले जाया करें।

– कभी कभी सहूलत के मुताबिक मस्जिदे क़ुबा जाकर 2 रकात नमाज़ पढ़ आया करें।

– हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों पर अमल करने की हर मुमकिन कोशिश करें।

– तमाम गुनाहों से ख़ासतौर पर फुज़ूल बातों, लड़ाई झगड़ा करने से बचें।

– हिकमत और सूझबूझ के साथ अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ़ बुलाते रहें।

– ख़रीद व फरोख़्त में अपना ज़्यादा वक़्त न गवाएं, क्योंकि मालूम नहीं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पाक शहर में दोबारा आने की सआदत ज़िन्दगी में कभी मिले या नहीं।

औरतों के ख़ास मसाइल

– अगर किसी ख़ातून को माहवारी आ रही हो या वह निफ़ास की हालत में हो तो अपनी रिहाइशगाह पर क़याम करे, सलाम अर्ज़ करने के लिए मस्जिदे नबवी में दाखिल न हो, हाँ मस्जिद के बाहर किसी दरवाजे के पास खड़े होकर सलाम अर्ज़ करना चाहे तो कर सकती है और जब पाक हो जाये तो क़ब्रे अतहर के सामने सलाम अर्ज़ करने के लिए चली जाये।

– मस्जिदे नबवी में औरतों को मर्दों के हिस्से में और मर्दों को औरतों के हिस्से में जाने की इज़ाजत नहीं है, इसलिए बाहर निकलने का वक़्त और मिलने की जगह तय करके ही अपने अपने हिस्से में जायें और जो जगह तय हुई है औरतें इसी जगह पर अपने मर्दों का इन्तेज़ार करें चाहे कितनी ही देर इन्तेज़ार करना पड़े, मर्दों की तलाश में हरगिज़ ना जायें।

– मस्जिदे नबवी से अपनी रिहाइशगाह तक का रास्ता अच्छी तरह पहचान लें।

– फुज़ूल बातें और लड़ाई झगड़ा करने से दूर रहें, ज़्यादा वक़्त इबादत में गुज़ारें, क़ुरान की तिलावत करें और नफ़्लें पढ़ें।

— चूंकि मदीना मुनव्वरा के लिए किसी तरह का कोई एहराम नहीं बांधा जाता है, इसलिए औरतें पूरे पर्दे के साथ रहें, यानी चेहरे पर भी निक़ाब डालें।

— औरतें मक्का मुकर्रमा की तरह मदीना तय्यबह मेंभी अपनी रिहाइशगाह में नमाज़ अदा कर सकती हैं, क्योंकि जमाअत की अहमियत और फज़ीलत सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए घर पर ही नमाज़ अदा करना अफ़ज़ल है, लेकिन अगर औरतें मस्जिदे नबवी में नमाज़ अदा करना चाहें तो औरतों के लिए ख़ास हिस्से में ही नमाज़ अदा करें।

— औरतों के लिए क़ब्रे अतहर पर जाकर सलाम पढ़ने का वक़्त इश्राक के बाद, ज़ुहर व अस्र के दरमियान और इशा के थोड़ी देर के बाद है।

मदीना मुनव्वरा से वापसी

– मदीना मुनव्वरा से वापसी पर अगर मक्का मुकर्रमा जाने का इरादा है तो जुलहुलइफ़ा जो मदीना वालों के लिए मीक़ात है वहां से एहराम बांधें, अगर हज का ज़माना क़रीब है तो सिर्फ़ हज का एहराम बाँधे और अगर हज का ज़माना दूर है तो फिर मदीना मुनव्वरा से सिर्फ़ उमरह का एहराम बांधें और उमरह करके एहराम खोल दें। अगर आप ने हज्जे तमत्तो का इरादा किया है उमरह से फ़रागत करके मदीना मुनव्वरा चले गये तो मदीना मुनव्वरा से वापसी पर सिर्फ़ हज या उमरह का एहराम बाँधे।

– अगर हज करने के बाद मदीना मुनव्वरा गये हैं और अब वापस मक्का मुकर्रमा जाना है तो मदीना वालों की मीक़ात से सिर्फ़ उमरह का एहराम बांधकर जायें।

– अगर मदीना मुनव्वरा से वापसी पर मक्का जाने का इरादा नहीं है, बल्कि अपने वतन वापस जाने का इरादा है तो किसी एहराम की ज़रूरत नहीं।

– मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के लिए हज से पहले या हज के बाद किसी भी वक़्त जा सकते हैं।

– नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर (मदीना मुनव्वरा) से वापसी पर यक़ीनन आप का दिल

ग़मगीन और आखें भीगी होंगी, मगर दिले ग़मगीन को तसल्ली दें कि जिस्मानी दूरी के बावजूद हजारों किलोमीटर से भी हमारा दुरूद व सलाम अल्लाह के फ़रिश्तों के ज़रिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा करेगा।

– इस मुबारक सफ़र से वापसी पर इस बात का पक्का इरादा करें कि ज़िन्दगी के जितने दिन बाक़ी हैं उसमें अल्लाह जल्ला शानुहु के हुक्मों की खिलाफ़वर्जी नहीं करेंगे, बल्कि अपने मौला को राज़ी और खुश रखेंगे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक़ ही अपनी ज़िन्दगी के बाक़ी दिन गुज़ारेंगे और अल्लाह के दीन को अल्लाह के बन्दों तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे।

परिचय

मौलाना डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी का तअल्लुक़ सम्भल (यूपी) के इल्मी घराने से है, उनके दादा मशहूर व मारूफ मुहद्दिस, मुक़र्रिर और मुजाहिदे आज़ादी मौलाना मोहम्मद इसमाईल सम्भली रहमतुल्लाह अलैह थे जिन्होंने मुख्तलिफ इदारों में तकरीबन १७ साल बुखारी शरीफ का दर्स दिया, जबकि उनके नाना मुफ्ती मुशर्रफ हुसैन सम्भली रहमतुल्लाह अलैह थे जिन्होंने मुख्तलिफ इदारों में इफता की ज़िम्मेदारी निभाने के साथ साथ बुखारी व अहादीसे शरीफा की दूसरी किताबें भी पढ़ाईं।

इब्तिदाई तालीम सम्भल में ही हासिल की, चुनांचे मेडिल स्कूल पास करने के बाद अरबी तालीम का आगाज़ किया। इसी बीच १९८६ ईसवी में यूपी बोर्ड से हाई स्कूल भी पास किया। १९८९ में दारुल उलूम देवबन्द में दाखिला लिया। दारुल उलूम देवबन्द के क़याम के दौरान यूपी बोर्ड से इन्टरमीडिएट का इमतिहान पास किया। 1994 में दारुल उलूम देवबन्द से फरागत हासिल की। दारुल उलूम देवबन्द से फरागत के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया से

तरजुमे के दो कोर्स किए, उसके बाद दिल्ली यूनिवार्सिटी से M.A. (Arabic) किया।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोबा अरबी की जानिब से मौलाना डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी को "अल जवानिबुल अदबिया वल बलागिया वल जमालिया फिल हदीसिन नबवी" यानी हदीस के अदबी व बलागी व जमाली पहलू पर डाक्टरेट की डिग्री दिसम्बर २०१४ में तफवीज़ की गई। डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी ने प्रोफेसर डाक्टर शफीक अहमद खां नदवी साबिक़ सदर शोबा अरबी और प्रोफेसर रफीउल इमाद फायनान की सरपरस्ती में अरबी ज़बान में ४८० सफहात पर मुशतमिल अपना तहक़ीक़ी मक़ाला पेश किया।

1999 से रियाज़ में बरसरे रोज़गार हैं। सउदी अरब में हुसूले रोज़गार के साथ साथ बहुत सी किताबें (हज्जे मबरूर, मुख्तसर हज मबरूर, हैया अलस सलात, उमरह का तरीक़ा, तुहफए रमज़ान, मालूमाते क़ुरान और इस्लाही मज़ामीन) तहरीर की है, जिनके मुख्तलिफ एडीशन शाये हो चुके हैं। कई सालों से रियाज़ शहर में हज तरबियती कैम्प

भी मुनअक़िद कर रहे हैं। वक्तन फवक्तन मज़ामीन उर्दू अखबारात में शाये होते रहते हैं।

मौलाना डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी की वेब साइट (www.najeebqasmi.com) को काफी मक़बूलियत हासिल हुई है जिसकी यह मोबाइल ऐप तीन जबानों (उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी) में पेशे खिदमत है जिसमें मुख्तलिफ इस्लामी मौज़ूआत पर मज़ामीन के साथ उनकी किताबें और बयानात हैं, मज़ामीन ऐप का हिस्सा हैं, जबकि किताबें और बयानात इख्तियारी हैं, आप इन्टरनेट के ज़रिये डाउनलोड करके उनसे इस्तिफादा कर सकते हैं।

मुख्तलिफ अहबाब के तक़ाजे पर हज व उमरह से मुतअल्लिक़ खुसूसी ऐप (Hajj & Umrah Guide) भी तीन ज़बानों (उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी) में पेशे खिदमत है जिसमें हज व उमरह से मुतअल्लिक़ ३ किताबें (हज मबरूर, मुख्तसर हज मबरूर और उमरह कैसे करें?), ९ बयानात हज व उमरह की अदाएगी का तरीका, Presentation, एक घंटे पर मुशतमिल वक़्फए सवाल व जवाब और २१ मज़ामीन हैं, जिन से सफर के

दौरान हत्ताकि मक्का, मिना, मुज़दल्फा और अरफात में भी इस्तिफादा किया जा सकता है। हज व उमरह से मुतअल्लिक़ यह तमाम मज़ामीन, बयानात और किताबें मौजूदा ज़माने में लाखों हुज्जाज की तादाद और मस्जिदे हराम व मशाइरे मुक़द्दसा (मिना, मुज़दल्फा और अरफात) में तामीराती तब्दीलियों को सामने रख कर हाल ही में लिखी गई हैं। गरज़ ये कि इस ऐप के ज़रिये आज़मीने हज असरे हाजिर में हज व उमरह की अदाएगी के लिए सही रहनुमाई हासिल कर सकते हैं।

Mohammad Najeeb Qasmi
najeebqasmi@gmail.com
najeebqasmi@yahoo.com
http://www.najeebqasmi.com/
MNajeeb Qasmi - Facebook
Najeeb Qasmi - YouTube
Skype: najeebqasmi
Whatsapp: 00966508237446

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَّآلِهٖ وَسَلَّمَ

www.najeebqasmi.com